छत्तीसगढ़ में हुआ 2000 करोड़ का शराब घोटाला?

India's First Magazine of it's kind

मूल्य : 20 रूपये

POLICE PUBLIC PRESS

VOL. 17, Issue 2, May, 2023

Relationship National Magazine

सीबीआई के नए निदेशक प्रवीण सूद?

OUR NATIONAL TOLL FREE NO. 1800-11-5100

POLICE PUBLIC PRESS

1 8 0 0 1 1 5 1 0 0

भारतवर्ष में अपराध व भ्रष्टाचार का ग्राफ हर दिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस व प्रशासन से आम जनता की दूरियां बढ़ गयी है। और इसी कारण देश में अपराध नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नयी सोच के साथ पुलिस पब्लिक प्रेस समन्वय नामक आंदोलन के माध्यम से जनता को जागृत किया जा रहा है। हमारे कार्यक्रमों में राष्ट्रीयव्यापी नेटवर्क व 350 से ज्यादा युवा संवाददाताओं के माध्यम से पत्रिका प्रकाशन, टेलीविजन कार्यक्रम व विभिन्न स्तर पर सेमिनार आयोजित किये जा रहे हैं। हमारी पत्रिका अपनी तरह की एक मात्र ऐसी पत्रिका है, जिसके हजारों पाठक देश के नीति नियामक हैं।

अपराधमुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमने टोल फ्री नम्बर 1800-11-5100 शुरू किया है। जिसके माध्यम से पुलिस और आम जनता के बेहतर रिश्तों के लिए काम किया जा रहा है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर उपरोक्त नम्बर पर कॉल करने पर सूचना तथा शिकायतें दर्ज की जाती है।

हमारी कार्यप्रणाली

1) फोन पर ली गयी मौखिक जानकारी के आधार पर विभाग से संबंधित जानकारी यानी थाने का फोन नम्बर, वरिष्ठ अधिकारियों के फोन नम्बर इत्यादि उपलब्ध कराये जाते हैं।
2) हमारे देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से किसी भी सूचना व शिकायत को हमारे संबंधित जिला संवाददाता को अग्रसरित किया जाता है, जो उसकी सत्यता व स्थिति की जांच करने के बाद आवश्यक मदद उपलब्ध कराते हैं।
3) हमारी राष्ट्रीय पत्रिका में हम आवश्यकतानुसार समस्या व शिकायतों का प्रकाशन करते हैं।
4) सबसे पहले फोन पर मौखिक जानकारी ली जाती है, और उसको कम्प्यूटर में दर्ज किया जाता है।
5) मौखिक जानकारी के आधार पर निर्णय लेकर यह शिकायत उचित है या नहीं, उस पर कार्यवाही की जाती है।
6) अगर उचित शिकायत है तो हम उससे संबंधित जानकारी को उस क्षेत्र के संवाददाता को भेज देते हैं।
7) अगर शिकायत पुलिस थाने में नहीं सुनी जाती, या उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो हमारे संवाददाता संबंधित व्यक्ति के साथ खुद जाकर शिकायत पर उचित कार्यवाही की चेष्टा करता है।
8) संबंधित थाने क्षेत्र में उचित कार्यवाही नहीं होने पर हम पुलिस या विभाग के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं।
9) हमारा टोल फ्री नम्बर (1800-11-5100) 10 से 5 के बीच में सोमवार से शनिवार तक काम करता है।
10) अगर कोई घटना या शिकायत पर फिर भी उचित कार्यवाही नहीं हो पाती है, संबंधित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है, तो हम उसको अपनी राष्ट्रीय पत्रिका पब्लिक पुलिस प्रेस द्वारा न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं।
11) अगर शिकायत किसी भी तरह से अनौपचारिक व आधारविहीन है, तो हम कार्यवाही नहीं करते हैं।
12) अगर शिकायत पर हमारी कोशिश करने के बावजूद उचित कार्यवाही नहीं होती है, या पुलिस कुछ नहीं करती है, तो उसके लिए हम व हमारे संवाददाता जिम्मेदार नहीं है।

We Fight for crimefree India-You are welcome to be our Reporter

Call - POLICE PUBLIC PRESS

Tel. 011-41085100, Mob.- 9377100100, 9477100100

SOME OF OUR TEAM MEMBERS ACROSS INDIA

Sunil

Mukesh

Ashish

Monika

Kapil

Bishwanath Dhanuka

Rahul

Tamanna

Aman

Omprakash

Vinod Kumar

Narendra Garg

Kuldip

Ketankumar

surjeet

Suresh

Hirenbhai Patel

Chetan

Ranjit Deb

Chandresh Modi

Yogesh

Radheshyam

Anoop Modi

Naresh

Dhananajayan

Megha Ashish

M Gangadhar

Sanjeev

VOL. 17,
Issue 2,
May, 2023

Bhubneshwar, Orissa
Monthly Magazine,
Rs. 20

Yearly Subscription
Rs. 240

Corp. Office
G-8, GK House,
187 A, Sant Nagar,
East Of Kailash,
New Delhi-110065

Phone - 011-41085100,
9477100 100
Mob. - 09377100100,
09310888388

Regd office
511, Glimpses Palace,
Cuttak-Puri Road,
Bomikhal,
Bhubneshwar- 751010
(Orissa)
Odisha-
Mob - 07205100100,
0674-6000111

RNI Regd. No ORI [8/17,
BIL/2006/16802

Editor
Pawan Kumar Bhoot

Managing Editor
Ashish Aggarwal

Delhi Off - 011-41085100

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक पवन कुमार भूत द्वारा 002, आशीर्वाद अपार्टमेंट, कटक-पूरी रोड, भुवनेवर-751006 खुर्दा (उड़ीसा) से प्रकाशित एवं रेप्रोप्रिंट प्रा. लिमिटेड एन-5 44 आई.आर.सी. विलेज, भुवनेश्वर-15 से मुद्रित।

संपादक : पवन कुमार भूत

May,, 2023

India's First Magazine of it's kind

POLICE PUBLIC PRESS

Relationship National Magazine

संपादकीय

घृणा फैलाने वाले बयान

लंबे समय से राजनेताओं व कार्यकर्ताओं के अभद्र भाषा वाले बयान हर जिम्मेदार नागरिक को परेशान करते रहे हैं। देश का जनमानस यह देखकर परेशान तो था लेकिन कुछ करने की स्थिति में नजर नहीं आया। घृणा फैलाने वाले बयानों की लगातार हो रही आवृत्ति को देखकर चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे घृणा फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज करें, अब चाहे इस बाबत कोई मामला दर्ज न भी करे। वैसे यह पहली बार नहीं है कि शीर्ष अदालत ने देश की गंगा-जमुनी संस्कृति को ठेस पहुंचाने की कोशिशों को लेकर अप्रसन्नता जाहिर की हो। यहां तक कि पिछले माह इस तरह की अभद्र भाषा को एक 'दुश्चक्र' बताया था। साथ ही अचरज व्यक्त किया था कि अब तक देश के राज्य इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिये कोई कारगर तंत्र क्यों विकसित नहीं कर पाये। निस्संदेह, किसी भी समृद्ध लोकतंत्र के लिये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपरिहार्य है। जो किसी समाज को जीवंत बनाये रखने तथा पुष्पित-पल्लवित करने के लिये जरूरी शर्त है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)ए सभी नागरिकों को भाषण तथा अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी भी देता है। लेकिन यह आजादी स्वच्छंद व्यवहार की अनुमति नहीं देती। दूसरी ओर संविधान का अनुच्छेद 19(2) राज्य को सात आधारों पर निरंकुश अभिव्यक्ति पर जरूरी अंकुश लगाने के लिये कानून का उपयोग करने के लिये अधिकृत भी करता है। यदि किसी की अभिव्यक्ति से देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के प्रति उकसाने की कोशिश होती है तो राज्य को दखल देने का अधिकार मिला है। कहने का अभिप्रायः यह है कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी तो मिली है,लेकिन वह असीमित नहीं है। जरूरत पड़ने पर उसे नियंत्रित किया जा सकता है।

दरअसल, हाल के दिनों में मुख्य समस्या धर्म व राजनीति के घालमेल से उत्पन्न हुई है। यह भी तथ्य है कि अभद्र भाषा की कोई सटीक परिभाषा नहीं होती, यही वजह है कि राजनेता अपने बयानों की सुविधानुसार व्याख्या करके अपने बचाव के रास्ते तलाश लेते हैं। विडंबना यह भी है कि अकसर राज्य भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनी प्रावधानों को लागू करने के लिये राजनीतिक हितों के चलते पक्षपातपूर्ण तौर-तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जिसके चलते नफरत फैलाने वाले बचाव के रास्ते निकाल लेते हैं। दरअसल, सही अर्थों में अभिव्यक्ति की आजादी के मायने हैं उन विचारों की आजादी जो एक स्वस्थ बहस और बौद्धिक विमर्श का संवर्धन करते हैं। वैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करने पर किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन यदि द्वेषपूर्ण भाषण की प्रकृति समाज में अलगाव के बीज बोती नजर आती है, तो उसे दंडात्मक प्रावधानों के जरिये नियंत्रित किया जा सकता है। निस्संदेह, इस तरह के बयान समाज में वैमनस्य और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र की अभद्र भाषा पर रणनीति और कार्ययोजना के अनुसार, वह भाषण जो किसी व्यक्ति या समूह पर जातीय मूल, धर्म, नस्ल, विकलांगता,यौन स्वरूप पर हमला करता है तो वह अपराध की श्रेणी में माना जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बाबत दिया गया आदेश स्वागत योग्य है कि बिना शिकायत के प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर पुलिस को बिना शिकायत के अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश कई तरह की चिंताओं को भी बढ़ाता है। आशंका जतायी जा रही हैं कि कहीं अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिये राज्य सरकारें इस छूट का दुरुपयोग न करने लगें। आशा की जानी चाहिए कि इस तरह की आशंकाओं को देखते हुए शीर्ष अदालत फैसले पर मंथन करेगी। विशेषकर इस साल होने वाले कुछ विधानसभा चुनावों और आम चुनाव से पहले ऐसी पहल होगी तो उसका सकारात्मक प्रतिसाद मिलेगा।

-पवन कुमार भूत

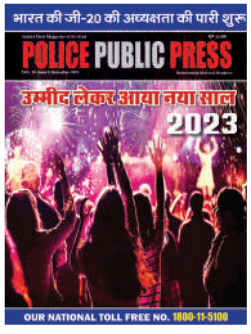

Join Us
As Reporter & Earn
Contact : 9377100100

समारोह/ Hony Doctoret Degree& Award Event in Mumbai Hayat Hotel

समारोह/ Delhi Beauty Pregent by Anmol Tv & Doctoret in Lalit Hotel

FranchiseBatao.com

बिज़नेस की बात
फ्रैंचाइज़ी बताओ के साथ

Inviting Franchise Business Partners

Highlights of FBA

- High Potential Business Opportunity
- More than 4.5 lacs Subscribers on YouTube
- 100+ Business Under one Roof
- Branch Franchise Available

Contact :-
7827719099, 8076905077

www.franchisebatao.com

MUDRA CENTRE

Best Grahak Sewa Kendra
Franchise Opportunity

SERVICES OFFERED

Loans	Bill Payment
Taxation Service	Money Transfer
Digital Marketing	Travel Booking

High Income Opportunity
www.mudracentre.in
Call : 7827719099, 7011466766

Inviting Franchise

3 Franchise Models
- Retailer
- Distributor
- Master Franchise

कौन हैं सीबीआई के नए निदेशक प्रवीण सूद?

कर्नाटक के मौजूदा डीजीपी प्रवीण सूद 25 मई को सीबीआई डायरेक्टर का पद संभालेंगे। उनका कार्यकाल दो साल का होगा। वह मौजूदा प्रमुख सुबोध कुमार जयसवाल से पदभार लेंगे।

केंद्र सरकार ने सीबीआई के निदेशक के रूप में कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को नियुक्त किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन राज्य के डीजीपी प्रवीण सूद को सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया। सूद अगले दो साल के लिए सीबीआई चीफ होंगे। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी सूद दो साल तक इस पद पर रहेंगे।

वे मई 2024 में रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इस नियुक्ति के साथ ही उनका कार्यकाल मई 2025 तक बढ़ गया है। मौजूदा सीबीआई प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल 25 मई को पूरा हो रहा है, जिसके बाद प्रवीण सूद पदभार संभालेंगे।

सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा में विपक्ष के नेता की मीटिंग में नाम फाइनल होता है। इसके बाद गृह मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग आदेश जारी करता है।

13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर नए सीबीआई चीफ का चयन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक रखी गई थी। इसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और विपक्ष के नेता, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी शामिल हुए।

सीबीआई प्रमुख की पोस्ट के लिए सभी उम्मीदवारों में 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी इस पद के लिए सबसे आगे थे। बैठक में सीबीआई निदेशक पद के लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का चयन किया गया था। शॉर्टलिस्ट किए गए अन्य लोगों में मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी एसके सक्सेना और अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक ताज हसन भी लिस्ट में थे।

प्रधानमंत्री मोदी और सीजेआई डीवीई चंद्रचूड़ ने प्रवीण सूद के नाम पर मुहर लगाई। सीबीआई डायरेक्टर पद के लिए संभावितों की सूची में प्रवीण सूद सबसे वरिष्ठ थे, जिसके आधार पर उनका चयन किया गया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से सूद के नाम पर अधीर रंजन चौधरी को ऐतराज था।

सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करने वाली तीन सदस्यीय समिति में अधीर रंजन भी हैं. चौधरी ने सूद की उम्मीदवारी के खिलाफ दलीलें

रखीं। मुख्यतः उनका ऐतराज इस बात पर था कि सूद आईपीएस अधिकारियों के उस पूल का हिस्सा नहीं थे जो केंद्र में डीजीपी लेवल पर सेवा के योग्य हों। फिर भी पीएम और सीजेआई की राय एक होने से सूद की दावेदारी बेहद मजबूत हो गई।

प्रवीण सूद अगले साल मई में रिटायर होने वाले हैं। उन्हें 2 साल के फिक्स्ड-टर्म का मौका दिया गया है। उनका कार्यकाल पांच साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले 14 मार्च को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने उन्हें नालायक कहा था। शिवकुमार ने कहा था कि हमारे डीजीपी इस पद के लायक नहीं हैं। वह तीन साल से डीजीपी हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए।

शिवकुमार ने आरोप लगाया था कि सूद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर 25 केस दर्ज किए,

लेकिन भाजपा नेताओं पर एक भी केस दर्ज नहीं किया। हमने चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। उन्होंने प्रवीण सूद की गिरफ्तारी की मांग की थी। शिवकुमार ने कहा था कि चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो सूद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रवीण सूद हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले हैं। उनका जन्म साल 1964 में हुआ था। उनके पिता ओम प्रकाश सूद दिल्ली सरकार में क्लर्क थे, जबकि मां कमलेश सूद दिल्ली के सरकारी स्कूल की टीचर थीं। प्रवीण सूद की पत्नी विनीता सूद सोशल आंत्रप्रेन्योर हैं। प्रवीण सूद के परिवार में दो बेटियां हैं।

नव नियुक्त सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद की परागपुर में प्रवीण सूद के पूर्वजों की निहालू मल पूर्ण चंद नाम से बिजनेस फर्म थी। इस फर्म का साल 1890 में शिमला में भी वर्चस्व था। सीबीआई के डायरेक्टर पद पर बैठने वाले प्रवीण सूद दूसरे हिमाचली हैं। इससे पहले हिमाचल कैडर के ही अश्विनी कुमार भी सीबीआई के डायरेक्टर रहे हैं। वे सिरमौर जिले के रहने वाले

सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करने वाली तीन सदस्यीय समिति में अधीर रंजन भी हैं. चौधरी ने सूद की उम्मीदवारी के खिलाफ दलीलें रखीं। मुख्यतः उनका ऐतराज इस बात पर था कि सूद आईपीएस अधिकारियों के उस पूल का हिस्सा नहीं थे जो केंद्र में डीजीपी लेवल पर सेवा के योग्य हों। फिर भी पीएम और सीजेआई की राय एक होने से सूद की दावेदारी बेहद मजबूत हो गई।

बेटी आशिता ने क्रिकेटर मयंक अग्रवाल से शादी की

मयंक और आशिता करीब 7 साल तक रिलेशनशिप में रहे। इसके बाद मयंक ने आशिता को शादी के लिए प्रपोज किया था। यह प्रपोजल किसी फिल्मी अंदाज से कम नहीं था। मयंक ने आशिता को जनवरी 2018 को प्रपोज किया था। लंदन में टेम्स नदी के किनारे बने हवाई झूले 'लंदन आई' पर उन्होंने अपने दिल की बात आशिता को बताई थी। आशिता ने भी मयंक के प्रपोजल को फौरन स्वीकार कर लिया था। मयंक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह आशिता को लंबे वक्त से जानते थे और उन्हें आशिता की सादगी बहुत पसंद थी और इसी सादगी पर वह फिदा हो गए थे। आशिता सूद ने क्रिकेटर मयंक अग्रवाल से 2018 में सगाई की और 2022 में शादी कर ली। लंबे वक्त तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद इस कपल ने यह फैसला किया था। बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश आशिता सूद लॉ में पॉस्ट ग्रेजुएट हैं। वह पेशे से वकील हैं। इनके घर एक बेटा है। आशिता की इंस्टाग्राम प्रोफाइनल मंयक अग्रवाल की तस्वीरों से भरी पड़ी हैं। तस्वीरों में इस कपल में जबरदस्त कैमिस्ट्री नजर आती है। आशिता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से साफ जाहिर है कि वह खाने-पीने की खूब शौकीन हैं और उन्हें ट्रेवल करना भी बेहद पसंद है। आशिता आईपीएल में कई मौकों पर मयंक अग्रवाल को सपोर्ट करने स्टेडियम में भी नजर आती रही हैं। मयंक अग्रवाल बेंगलुरु के रहने वाले हैं। वे घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक के लिए खेलते हैं। मौजूदा आईपीएल सीजन में वे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से खेल रहे हैं। मयंक ने टीम इंडिया के लिए 21 टेस्ट मैचों में 1488 रन और पांच वनडे मैचों में 86 रन बनाए हैं।

कैसे होती है सीबीआई निदेशक की नियुक्ति

केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सीबीआई देश की प्रमुख जांच एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामलों के जटिल मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार है। सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा की जाती है। एसीसी में प्रधानमंत्री, गृह मामलों के मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी शामिल होती है।

आर.के. सिन्हा

सीबीआई के पास आईपीएस में 69 केंद्रीय कानूनों 18 राज्य अधिनियमों और 231 अपराधों से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है। सीबीआई का नेतृत्व एक निदेशक करता है। सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है।

सीबीआई की स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। अब सीबीआई कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है।

यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो केंद्र सरकार की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रदान करता है। यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की जांच में साथ देती है।

सीबीआई के पास आईपीसी में 69 केंद्रीय कानूनों, 18 राज्य अधिनियमों और 231 अपराधों से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है। सीबीआई का नेतृत्व एक निदेशक करता है। इस लेख में हम सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया, योग्यता मानदंड और नियुक्ति से जुड़े कई सवालों की पड़ताल करेंगे, साथ ही आप को कुछ ऐसे विवादों के बारे में भी बताएंगे जिनकी वजह से सीबीआई के निदेशक की नियुक्तियां जांच के घेरे में आई है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सीबीआई देश की प्रमुख जांच एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामलों के जटिल मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार है।

सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा की जाती है। एसीसी में प्रधानमंत्री, गृह मामलों के मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी शामिल होती है। नियुक्ति की प्रक्रिया गृह मंत्रालय द्वारा पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित करने के साथ शुरू होती है।

सीबीआई के निदेशक के पद के लिए पात्र होने के लिए, एक अधिकारी के पास भारतीय पुलिस सेवा या अन्य अखिल भारतीय सेवाओं

कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने प्रवीण सूद को नालायक तक कहा था। शिवकुमार ने कहा था कि हमारे डीजीपी इस पद के लायक नहीं हैं। वह तीन साल से डीजीपी हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए।

में न्यूनतम 30 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। अधिकारी के पास एक साफ रिकॉर्ड होना चाहिए और किसी भी आपराधिक मामले या विभागीय जांच में अभियुक्त नहीं होना चाहिए। अधिकारी के पास जांच, खुफिया जानकारी एकत्र करने और अभियोजन का भी अनुभव होना चाहिए।

भारतीय पुलिस सेवा के प्रवीण सूद को 2 साल की अवधि के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सुबोध कुमार जायसवाल के स्थान पर वह 25 मई को अपना कार्यभार संभालेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सीबीआई चीफ के लिए उन्हें चुना था। आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद वर्तमान में कर्नाटक के डीजीपी के रूप में सेवारत हैं।

सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति वर्षों से विवादों से घिरी हुई है। 2018 में, सीबीआई के निदेशक के रूप में आलोक वर्मा की नियुक्ति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का आदेश दिया था। उसी वर्ष, वर्मा और उनके डिप्टी, राकेश अस्थाना, दोनों को सरकार द्वारा छुट्टी पर भेज दिया गया था, जिसकी व्यापक रूप से सीबीआई के कामकाज में हस्तक्षेप के रूप में आलोचना की गई थी।

2019 में, सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम नागेश्वर राव की नियुक्ति की भी आलोचना की गई क्योंकि वे पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते थे, और चयन समिति की सहमति के बिना नियुक्ति की गई थी। नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसने नियत प्रक्रिया का पालन नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की थी।

2021 में, सरकार ने राकेश अस्थाना की वरिष्ठता को अनदेखा करते हुए सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई निदेशक नियुक्त किया, जिन्हें इस पद के लिए सबसे आगे माना जाता था। नियुक्ति की विपक्षी दलों ने आलोचना की, जिन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के साथ राजनीति कर रही है।

सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति से जुड़े विवादों ने चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और सीबीआई की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े किए हैं। यह जरूरी है कि सरकार इन चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए और सीबीआई की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता को बनाए रखे।

थे। बाद में अश्वनी शर्मा नागालैंड और मिजोरम के राज्यपाल भी बने।

सूद की स्कूलिंग दिल्ली के सरकारी स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी टेक किया। सूद दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से पासआउट हैं। सूद इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम)-बेंगलुरु और न्यूयॉर्क में सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं।

1986 में वे 22 साल की उम्र में आईपीएस बने। प्रवीण सूद साल 1986 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। उन्हें कर्नाटक कैडर मिला। जिसके बाद उनकी पहली पोस्टिंग 1989 में मैसूर में हुई। सर्विस के दौरान ही उन्होंने आईआईएम बेंगलुरु से पब्लिक पुलिस मैनेजमेंट में एमबीए पूरा किया। पुलिस सर्विस के शुरूआती दौर में वे बेल्लारी और रायचुर में एसपी रहे। इसके अलावा बेंगलुरु और मैसूरु में वे डीसीपी भी रहे। सूद को 1996 में मुख्यमंत्री की ओर से गोल्ड मेडल मिल चुका है।

सूद 2004 से 2007 के बीच कर्नाटक शहर में पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यरत रहे। इसके बाद साल 2008 से 2011 तक सूद ने बेंगलुरु शहर में डिप्टी कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ट्रैफिक का पदभार संभाला।

सूद को वर्ष 2013 में कर्नाटक राज्य पुलिस आवास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने केवल नौ महीनों में ही कंपनी का कारोबार 160 करोड़ से बढ़ाकर 282 करोड़ कर दिया।

उन्होंने राज्य की राजधानी बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त के रूप में भी काम किया है और उन्हें संकट में लोगों के लिए 'नम्मा 100' आपातकालीन रेस्पॉन्स सिस्टम स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उनके इस काम को लेकर उस समय वह काफी चर्चा में भी रहे थे।

प्रवीण सूद हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले हैं। उनका जन्म साल 1964 में हुआ था। उनके पिता ओम प्रकाश सूद दिल्ली सरकार में क्लर्क थे, जबकि मां कमलेश सूद दिल्ली के सरकारी स्कूल की टीचर थीं। प्रवीण सूद की पत्नी विनीता सूद सोशल आंत्रप्रेन्योर हैं। दो बेटियां हैं। एक बेटी आशिता सूद लॉ में पॉस्ट ग्रेजुएट हैं।

प्रवीण सूद का करियर यशस्वी और लंबा रहा है। प्रवीण सूद ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के लिए पुलिस आयुक्त के रूप में भी काम किया है। सूद एक अत्यधिक सम्मानित अधिकारी हैं। उन्हें 1996 में सेवा में उत्कृष्टता के लिए मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक दिया गया। साल 1999 में प्रवीण सूद मॉरीशस में पुलिस सलाहकार रहे। साल 2002 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक मिला और उनकी पुलिस पद रहते हुए उनकी मेहनत, ईमानदारी और जन सेवा में उनके योगदान को देखकर साल 2011 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति की तरफ से पुलिस पदक दिया गया था। जून 2020 में प्रवीण सूद कर्नाटक के डीजीपी बनाए गए थे।

महिलाओं का अंडर गारमेंट्स चोरी करता था युवक

एक चौंका देने वाला मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है। यहां एक युवक की हरकतें महिलाओं और युवतियों को परेशान कर रही हैं। युवक घर में घुसकर अश्लील हरकत करता है और महिलाओं के अंडरगारमेंट को चोरी कर भाग जाता है।

मध्य प्रदेश, इंदौर में एक सिरफिरे युवक से महिलाएं बेहद परेशान हैं। वह अश्लील हरकतों के लिए महिलाओं के घर में घुसता है और उनके अंडरगारमेंट चोरी कर भाग जाता है। इस मामले में लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी खोज कर रही है।

मामला विजय नगर थाना क्षेत्र से संबंधित है। पिछले कुछ दिनों से एक युवक की हरकतों से महिलाएं

बेहद परेशान हैं। यह युवक घरों में घुसकर महिलाओं और लड़कीयों के साथ अश्लील हरकतें करता है और उनके अंडरगारमेंट्स भी उठा लेता है।

विजय नगर थाना क्षेत्र में हो रही युवक की इन हरकतों से महिलाएं परेशान हैं. कुछ महिलाएं और लड़कियां इस मामले में परिजनों के साथ पहुंचकर विजयनगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा चुकी हैं। यह बताया जा रहा है कि इस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे ने उस युवक को कैद कर लिया है जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है।

आस पास के लोगों ने बताया कि एक युवक महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करता है। उसकी इन हरकतों से सभी तंग आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि उस युवक को इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद किया गया है जिसके आधार पर पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है।

दिनेश वर्मा थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद इस मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। युवक को सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया है और उसकी पहचान की जा रही है। उसे जल्द ही पकड़ा जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

लड़की को न्यूड फोटो पोस्ट करने को किया मजबूर

सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ दोस्ती बढ़ाना एक लड़की के लिए भारी पड़ गया है. सोशल मीडिया पर उसके दोस्तों ने पहले उसे न्यूड फोटो पोस्ट करने के लिए मजबूर किया. इसके बाद, फोटो को वायरल करने की धमकी देते हुए पैसे मांगे. इस पर लड़की ने मामले की शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने वाले दो दोस्तों के खिलाफ उवाड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया है. इस घटना से शहर में सनसनी फैल गई है.

इस बीच पीड़ित लड़की पुलिस के पास पहुंची और आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी. पीड़िता की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर सरकारवाड़ा थाने में छेड़छाड़ के साथ आईटी एक्ट और बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो)

अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. इन दोस्तों ने पैसे के साथ सेक्स की मांग कर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया है. संदिग्धों के नाम अथर्व शहाणे (22, औरंगाबाद) और सुहास जितेंद्र सराफ (25, सरस्वतीनगर, पंचक जेल रोड) हैं.

इससे कुछ दिन पहले नासिक शहर में एक ऐसा ही मामला सामने आया था. सोशल मीडिया के जरिए परिचित का फायदा उठाकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया था.

हैरानी की बात यह है कि इसमें एक नाबालिग भी शामिल था. इस मामले में नासिक शहर के इंदिरानगर थाने में एक नाबालिग बच्ची और एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था.

चूंकि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, इसलिए इसे लेकर बार-बार जागरुकता भी आई है लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं सोशल मीडिया की अधिकता के कारण हो रही हैं. नासिक में एक बार फिर नाबालिग लड़की को सोशल मीडिया पर दोस्त बनाना महंगा पड़ गया है.

दुल्हन ने रखी शर्त, करनी पड़ी दोनों बहनों से शादी

राजस्थान के टोंक जिले के मोरझाला की झोपड़ियां गांव का ये मामला बहुत ही सुखीर्यों में है जहां एक ही दूल्हे ने कर ली दो सगी बहनों से शादी. ये शादी कोई छुप छुपा के नहीं करी गई है बल्की बहुत ही धूमधाम से करी गई है. इसमें दोनों परिवारों की सहमती भी रही.

बताया जा रहा है कि दूल्हा हरिओम मीणा ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है. वहीं निवाई तहसील के सौंदड़ा खादया की ढाणी की रहने वाली दोनों सगी बहनों में से बड़ी बहन ने उर्दू में एमए किया हैं. लेकिन छोटी बहन सिर्फ आठवीं तक पढ़ी है. रामप्रसाद मीणा ने

अपने बेटे का रिश्ता बाबूलाल मीणा की बड़ी बेटी कांता के लिए भेजा था. रिश्ता तय करने से पहले कांता ने शर्त रखी कि वो दोनों बेटियों की शादी एक साथ करेंगे. इस पर दूल्हा शादी करने को मान गया. लिहाजा, कांता और सुमन की शादी पांच मई को हरिओम से हो गई.

राजस्थान के टोंक में एक शादी बहुत ही चर्चा में है. एक लड़के ने दो सगी बहनों से शादी की है

कांता ने अपनी छोटी सगी बहन की भी शादी की शर्त इसलिए रखी थी क्यों कि उसकी छोटी बहन मानसिक रूप से कमजोर है. कांता ही उसकी देखभाल करती है. अगर शादी के बाद सुमन कांता के साथ रहेगी तो वो उसकी अच्छे से ध्यान रख पाएगी. इस शर्त को हरिओम के घरवालों ने स्विकार किया और हरिओम कांता की शादी रजामंदी से हो गई. पांच मई को हरिओम कांता की शादी हो गई. हरिओम का कहना है कि वो दोनों बहनों से शादी करके खुश है. बताया जा रहा है कि हरिओम और कांता दोनों ही गवर्नमेंट एक्जाम की तेयारी कर रहे हैं.

'खुशी को मार दिया, अब उसके पास जा रहा हूं...'

गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद युवक ने फेसबुक लाइव कर दे दी जान

झारखंड की राजधानी रांची में छात्रा निवेदिता नयन की हत्या के 24 घंटे बाद उसके बॉयफ्रेंड अंकित अहीर ने भी खुदकुशी कर ली. अंकित ने शनिवार शाम को फेसबुक पर लाइव आकर अपनी जान लेने का एलान किया.

इसके बाद, किसी ने उसके परिजनों को इसकी जानकारी दी और वे तत्काल पुलिस को संपर्क करने के भागे. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मोबाइल लोकेशन की ट्रेसिंग कर अंकित के घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो उसने खुदकुशी कर ली थी.

निवेदिता नयन की हत्या के बाद अंकित भाग रहा था ताकि वह पुलिस से बच सके. इस दौरान, शनिवार को अंकित के परिजनों को जानकारी मिली कि अंकित ने सदर थाने क्षेत्र में स्थित एक मकान में खुदकुशी की है. जानकारी प्राप्त

झारखंड की राजधानी रांची में छात्रा निवेदिता नयन की हत्या के 24 घंटे बाद उसके बॉयफ्रेंड अंकित अहीर ने भी खुदकुशी कर ली.

होने पर पुलिस ने तत्काल उसके मोबाइल लोकेशन की ट्रेसिंग की और उसके मकान पर पहुंची, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

पुलिस अंकित की गिरफ्तारी के लिए निरंतर छापामारी अभियान चला रही थी.

सभी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर नजर रखी जा रही थी. अंकित ने शुक्रवार को शाम ढलते ही निवेदिता को गोली मारकर हत्या कर दी थी और दूसरे दिन, शनिवार को शाम ढलते ही वह खुदकुशी कर ली. उसका बैग घटनास्थल पर ही मिला.

निवेदिता और अंकित, दोनों बिहार के नवादा जिले के रहने वाले थे. अंकित अहीर और निवेदिता नयन अच्छे दोस्त थे. कहा जा रहा है कि अंकित, निवेदिता पर जान छिड़कता था.

लेकिन किसी कारण से निवेदिता उससे दो महीने से नाराज थी. फिर अंकित ने उस नाराजगी से नाराज होकर उसे गोली मार दी. फेसबुक लाइव में अंकित अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर बता रहा है- 'मैंने खुशी को मार दिया है, अब मैं खुद अपने आप को मार रहा हूं... हम लोकेशन भेज दिए हैं, हमारा 87 वाला नंबर चालू है, आप लोग इस पर कॉल सकते हैं, लोकेशन दीदी को भेज दिए हैं। खुशी को मार दिए है, अब मैं उसके पास जा रहा हूं... बाई-बाई.'

बादल साहब हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे

1990 के दशक में जब मैं उत्तरी भारत में पार्टी का काम देखता था, तब मुझे बादल साहब को निकटता से जानने का अवसर मिला। बादल साहब एक लोकप्रिय नेता थे, वे एक राजनीतिक दिग्गज थे जो पंजाब के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और दुनियाभर के करोड़ों पंजाबियों के दिलों पर राज करने वाले व्यक्ति थे। दूसरी ओर, मैं एक साधारण कार्यकर्ता था। फिर भी, अपने स्वभाव के अनुरूप, उन्होंने कभी भी इसे हमारे बीच खाई नहीं बनने दी। वे गर्मजोशी के साथ-साथ संवेदनाओं से भरे एक जीवंत व्यक्तित्व थे। ये ऐसे गुण थे, जो आखिरी सांस तक उनके साथ रहे। हर कोई जिसने बादल साहब के साथ निकटता से बातचीत की, उनकी बुद्धिमत्ता और हंसमुख स्वभाव का कायल हो गया।

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

25 अप्रैल की शाम को जब मुझे सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के निधन की खबर मिली तो मन बहुत दुखी हुआ। उनके निधन से मैंने एक पिता तुल्य व्यक्ति खो दिया है, जिन्होंने दशकों तक मेरा मार्गदर्शन किया। एक प्रकार से देखें तो उन्होंने भारत और पंजाब की राजनीति को ऐसा आकार दिया, जो अपने आप में अद्भुत है।

बादल साहब एक बड़े नेता थे, यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक बड़े दिल वाले इंसान थे। एक बड़ा नेता बनना आसान है, लेकिन एक बड़े दिल वाला व्यक्ति होने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। पूरे पंजाब में लोग कहते हैं -'बादल साहब की बात अलग थी' !

यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भारत के इतिहास में सरदार प्रकाश सिंह बादल को एक बड़े किसान नेता के रूप में जाना जाएगा। कृषि और किसान उनके दिल में रचे-बसे थे। वे जब भी किसी अवसर पर बोलते थे, उनके भाषण तथ्यों, नवीनतम जानकारियों और ढेर सारे व्यक्तिगत अनुभवों से भरे होते थे।

1990 के दशक में जब मैं उत्तरी भारत में पार्टी का काम देखता था, तब मुझे बादल साहब को निकटता से जानने का अवसर मिला। बादल साहब एक लोकप्रिय नेता थे, वे एक राजनीतिक दिग्गज थे जो पंजाब के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और दुनियाभर के करोड़ों पंजाबियों के दिलों पर राज करने वाले व्यक्ति थे। दूसरी ओर, मैं एक साधारण कार्यकर्ता था। फिर भी, अपने स्वभाव के अनुरूप, उन्होंने कभी भी इसे हमारे बीच खाई नहीं बनने दी।

वे गर्मजोशी के साथ-साथ संवेदनाओं से भरे एक जीवंत व्यक्तित्व थे। ये ऐसे गुण थे, जो आखिरी सांस तक उनके साथ रहे। हर कोई जिसने बादल साहब के साथ निकटता से बातचीत की, उनकी बुद्धिमत्ता और हंसमुख स्वभाव का कायल हो गया।

1990 के मध्य और उत्तरार्ध में पंजाब में राजनीतिक माहौल बहुत अलग था। राज्य ने बहुत उथल-पुथल देखी थी और 1997 में चुनाव होने थे। हमारी पार्टियां एक साथ मिलकर लोगों के पास गईं और बादल साहब हमारे नेता थे। उनकी लोकप्रियता और जनता का विश्वास एक प्रमुख कारण था कि लोगों ने हमें शानदार जीत का आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, हमारे गठबंधन ने चंडीगढ़ में नगरपालिका चुनाव और शहर में लोकसभा सीट भी सफलतापूर्वक जीती। ये उनके नेतृत्व का ही प्रभाव था कि हमारा गठबंधन 1997 से 2017 के बीच 15 साल तक राज्य की सेवा करता रहा !

एक किस्सा है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के बाद एक दिन बादल साहब ने मुझसे कहा कि हम अमृतसर जाएंगे, मत्था टेकेंगे और साथ में लंगर छकेंगे। मैं अमृतसर पहुंच गया और गेस्ट हाउस में अपने कमरे में था, लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला तो वे मेरे कमरे में आए और मेरा सामान उठाने लगे। मैंने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आओ मेरे साथ। वे मुझे वहां ले गए, जो कमरा मुख्यमंत्री के लिए आवंटित होता है, और फिर उन्होंने कहा कि तुम यहां रहोगे। मेरे लाख मना करने के बाद भी वो माने नहीं और फिर मुझे उसी कमरे में रहना

पड़ा। और बादल साहब दूसरे कमरे में रुक गए। मेरे जैसे एक बेहद साधारण कार्यकर्ता के प्रति उनके इस भाव को मैं आज भी नहीं भूल पाया हूँ।

बादल साहब की गौशाला में विशेष रुचि थी और वे तरह-तरह की गायें रखते थे। हमारी एक मुलाकात के दौरान, उन्होंने मुझे बताया कि गिर की गायों को पालने की उनकी इच्छा है। मैंने उनके लिए 5 गायों की व्यवस्था की और उसके बाद जब भी हम मिलते तो वे मुझसे गायों के बारे में बात करते। और मजाक में कहा करते थे कि वे गायें हर तरह से गुजराती हैं- क्योंकि वे कभी गुस्सा नहीं करतीं, उत्तेजित नहीं होतीं, या किसी पर हमला नहीं करतीं, यहां तक कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं, तब भी नहीं। वो कहते थे कि गुजराती भी इन गायों का दूध पी-पीकर विनम्र होते हैं।

2001 के बाद, मुझे बादल साहब के साथ एक अलग रूप में बातचीत करने का मौका मिला-अब हम अपने-अपने राज्यों के मुख्यमंत्री थे। मुझे विशेष रूप से जल संरक्षण, पशुपालन और डेयरी सहित कृषि से संबंधित कई मुद्दों पर बादल साहब का मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि वे समझना चाहते हैं कि अलंग शिपयार्ड में कैसे काम होता है। फिर वे वहां आए और पूरा दिन अलंग शिपयार्ड में बिताया और अच्छी तरह समझा कि रीसाइक्लिंग कैसे होती है। पंजाब एक तटीय राज्य नहीं है और एक तरह से उनके लिए शिपयार्ड की कोई सीधी प्रासंगिकता नहीं थी, लेकिन नई-नई चीजों को जानने और सीखने की रुचि उनमें हमेशा रहती थी।

2001 के भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुए कच्छ के पवित्र लखपत गुरुद्वारे की मरम्मत और जीर्णोद्धार के प्रयासों के लिए उन्होंने जिस प्रकार से गुजरात सरकार के प्रयासों की सराहना की, वो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी रहे।

2014 में केन्द्र में एनडीए सरकार के आने के बाद भी समय-समय पर उनके अनुभव का लाभ मुझे मिलता रहा। उन्होंने ऐतिहासिक जीएसटी सहित कई बड़े सुधारों का पुरजोर समर्थन किया। हमारे राष्ट्र के लिए उनका योगदान अमिट है। वे आपातकाल के काले दिनों में भी लोकतंत्र के लिए लड़ने वालों के साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े थे। उन्होंने हमेशा कांग्रेस के अहंकार और जुल्मों का सामना किया। उनकी सरकारें भी बर्खास्त की गईं।

पंजाब में 1970 और 1980 के दशक के मुश्किल भरे दौर में भी बादल साहब ने 'पंजाब फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट' की बात रखी। उन्होंने ऐसी हर बात का दृढ़ता से विरोध किया, जो भारत को कमजोर करे या पंजाब के लोगों के हितों से समझौता करे, भले ही इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी हो। वे महान गुरु साहिबों के आदर्शों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने सिख विरासत को संरक्षित करने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए।

पंजाब में 1970 और 1980 के दशक के मुश्किल भरे दौर में भी बादल साहब ने 'पंजाब फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट' की बात रखी। उन्होंने ऐसी हर बात का दृढ़ता से विरोध किया, जो भारत को कमजोर करे या पंजाब के लोगों के हितों से समझौता करे, भले ही इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी हो। वे महान गुरु साहिबों के आदर्शों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने सिख विरासत को संरक्षित करने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए। उनके लिए राष्ट्रीय एकता की भावना हमेशा सर्वोपरि रही।

1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने में उनकी भूमिका को कौन भूल सकता है? बादल साहब सब लोगों को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अलग-अलग विचारधाराओं वाले नेताओं के साथ काम किया। राजनीतिक फायदे-नुकसान से परे हटकर उनके लिए राष्ट्रीय एकता की भावना हमेशा सर्वोपरि रही।

बादल साहब के निधन से जो रिक्तता आई है, उसे भरना मुश्किल होगा। वे एक ऐसे राजनेता थे, जिन्होंने जीवन में कई चुनौतियां देखी। वो आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हमेशा हम सभी को प्रेरित करता रहेगा। उनकी कमी तो हमें जरूर खलेगी, लेकिन यह भी सच है कि वे हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। ■

जेलों में बढ़ता गैंगवॉर !

राजेश माहेश्वरी

तिहाड़ जेल में गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का मामला बहुत ही गंभीर और तिहाड़ जेल की व्यवस्था पर कई सवाल उठाता है। कत्ल की इन दुस्साहसिक घटनाओं ने दिल्ली जेल की सुरक्षा के लिए सालाना मिलनेवाले अरबों के बजट पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। हाई सिक्योरिटी जेलों के अंदर कैद में कोई अपराधी अगर किसी भी प्रकार के अपराध को अंजाम देता है तो हालात देश के सिस्टम को अपराधियों द्वारा खुली चुनौती देनेवाले बन जाते हैं। इस पर तत्काल विचार करके ठोस कदम उठाना सिस्टम के लिए बेहद आवश्यक है।

गत बीस दिनों में तिहाड़ जेल में गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का मामला बहुत ही गंभीर और तिहाड़ जेल की व्यवस्था पर कई सवाल उठाता है। कत्ल की इन दुस्साहसिक घटनाओं ने दिल्ली जेल की सुरक्षा के लिए सालाना मिलनेवाले अरबों के बजट पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। आखिर इतने भारी भरकम बजट का अधिकांश हिस्सा जब सुरक्षा पर खर्च होता है तो इस कदर दुस्साहसिक कत्ल की घटनाओं को अंजाम कैसे दे दिया जा रहा है? ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं दिल्ली में घटित हो रही हैं, देश के कई दूसरे राज्यों से भी ऐसी खबरें आती रहती हैं। कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी अपराधियों द्वारा मोबाइल-इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग से आपराधिक गुटों में हत्याओं का क्रम सवालिया निशान लगाता है।

हाई सिक्योरिटी जेलों के अंदर कैद में कोई अपराधी अगर किसी भी प्रकार के अपराध को अंजाम देता है तो हालात देश के सिस्टम को अपराधियों द्वारा खुली चुनौती देनेवाले बन जाते हैं। इस पर तत्काल विचार करके ठोस कदम उठाना सिस्टम के लिए बेहद आवश्यक है। पिछले साल पंजाब में प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब की जेलों में लगातार गैंगवार की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी प्रकार का एक मामला गत दिनों पंजाब के तरनतारन की जेल से सामने आया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने तरनतारन की जेल में खूनी वारदात को अंजाम दिया। गैंगवार में दो गैंगस्टर की मौत हो गई। वहीं बीते फरवरी को पंजाब की केंद्रीय जेल गोइंदवाल में खूनी झड़प हुई थी। तब २ गैंगस्टरों की मौत हो गई थी। वहीं बीते मार्च को गोइंदवाल में कैदियों के बीच झड़प होने की घटना सामने आई थी। अक्सर जेलों से कैदियों के भागने एवं जेल में रहते अन्य अपराधों में संलिप्त रहने की शिकायतें मिलती रहती हैं। वहीं जेलों में प्रभावी अपराधी पूरी सुख-सुविधाएं लेते देखे जा सकते हैं। जेलों को अपराधियों की सैरगाह बनाने में सबसे बड़ी भूमिका भ्रष्टाचार

कुख्यात अपराधी की हत्या

और इनका पोषण करनेवाले राजनीतिक दलों की है। पुलिस विभाग के कुछ भ्रष्ट कर्मचारी अपने कर्तव्य से खिलवाड़ करते हुए ऐसे अपराधी गिरोहों को जेलों को उनकी सैरगाह बनाने में पूरी मदद करते हैं और उनकी सुख-सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हैं।

तिहाड़ जेल में हाल में हुई गैंगवॉर के बाद सोचनेवाली बात यह है कि आखिरकार कैसे सीसीटीवी कैमरों के बीच कैदियों को सरिए का टुकड़ा मिल गया और कैसे उन्होंने इस सरिए से सुए तैयार करके एक हत्याकांड को अंजाम दे दिया। वैसे औचक निरीक्षण में जेलों में आए दिन नशीले पदार्थ, मोबाइल फोन, पैसे आदि बरामद होना तो अब एक आम बात होती जा रही है। लेकिन यह बात इन बेहद हाई सिक्योरिटी जेलों में की जानेवाली तलाशी व सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने का कार्य बखूबी करती है और बार-बार हमारे नीति-निमार्ताओं व सिस्टम को जेलों के हालात में सुधार करने की दुहाई देती है। दरअसल, जेलों में मोबाइल फोन समेत अन्य प्रतिबंधित चीजों के इस्तेमाल पर प्रिजन एक्ट में जो प्रावधान किए गए हैं, वो नाकाफी हैं। वास्तव में जेल के अंदर कैदियों के मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल को संज्ञेय व गैर-जमानती अपराध होना चाहिए। इसके अलावा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जेलों की निगरानी व्यवस्था को चाक-चौबंद, सुरक्षित व दुरुस्त बनाना होगा। जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर कैदी गैंगस्टरों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। जेलों में जैमर लगाकर अपराधियों की मोबाइल सेवा बंद कर देनी चाहिए। गुप्तचर खुफिया एजेंसियों की चौकसी बढ़ा देनी चाहिए। अपराधी कैदियों को मिलनेवाले लोगों की पूरी मशीनी चैकिंग करनी चाहिए। सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाना चाहिए। राजनीति से दूर निष्पक्ष तंत्र बनाने की जरूरत है। कानून व जेल मंत्रालयों को इस पर गंभीरता से विचार-विमर्श करके सभी विसंगतियों को दूर करना चाहिए। जेल प्रशासन की सांठ-गांठ से ही कैदी बाहर की दुनिया में अपना प्रभाव कायम रख पाते हैं। पुलिस सुधारों की बातें बहुत होती हैं।

अधिकारियों द्वारा समाचार पत्रों में कैदियों के सुधार हेतु लेख लिखे जाते हैं, पर होता कुछ नहीं है। जब तक जेल को जेल और पुलिस को पुलिस नहीं बनाया जाएगा तब तक अपराधियों के लिए जेलें एक सैरगाह ही बनी रहेंगी, वहीं पुलिस विभाग के सेवा-नियमों को सख्त किए जाने की जरूरत है। भ्रष्ट कार्यों में लिप्त कर्मचारियों को निलंबित नहीं, बल्कि बर्खास्त करने जैसे कठोर नियम बनाए जाने चाहिए। काहिल तंत्र को दुरुस्त करने के लिए सेना जैसे सेवा-नियमों की आवश्यकता है। ■

यह विडंबना ही है कि देश की सबसे सुरक्षित माने वाली तिहाड़ जेल में अपराधी सुनियोजित ढंग से हत्याएं करने में सफल हो जाएं। जब राष्ट्रीय राजधानी में स्थित जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा सके तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के दूर-दराज के इलाकों में जेलों में सुरक्षा का क्या आलम होगा।

तिहाड़ जेल के अति सुरक्षित वार्ड में बंद कुख्यात अपराधी की दूसरे अपराधी गिरोह ने हत्या कर दी। हालांकि, मृतक भी गंभीर अपराधों में वांछित था, लेकिन फिर भी जेलकर्मियों की सुरक्षा में उसकी हत्या जेलतंत्र की विफलता का ही परिचायक है। निस्संदेह, घटनाक्रम जेल व्यवस्था के छिद्रों की बानगी ही दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि बीस दिन पूर्व भी तिहाड़ जेल में एक अन्य गैंगस्टर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। निस्संदेह, कुख्यात अपराधियों की जान को जेल के भीतर बड़ा खतरा होता है तो इस खतरे का आकलन जेल प्रशासन पहले क्यों नहीं कर पाता? बड़े अपराधियों के वार्ड में कड़ी चौकसी और सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद जेल सुरक्षा में लगे कर्मचारियों को आखिर इसकी भनक क्यों नहीं लगी? ऐसा भी नहीं है कि जिस ढंग से हत्या को अंजाम दिया गया, वो तुरत-फुरत संभव हो गई हो? आखिर जेल अधिकारियों का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था जब जेल के भीतर हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा था और हत्या को अंजाम दिया जा रहा था? विगत में भी कई दुर्दांत अपराधियों के जेल के भीतर से ही बड़े अपराधों को अंजाम देने के मामले प्रकाश में आये हैं। सवाल ये भी है कि कड़ी सुरक्षा वाली जेलों के भीतर मोबाइल, घातक सामान व नशीले पदार्थ कैसे बरामद होते रहे हैं? कहा जा सकता है कि बिना कर्मचारियों की मिलीभगत या सुरक्षा चूक के ऐसा संभव नहीं।

निस्संदेह, कैदियों को सुधारने के लिये बनी जेलों के भीतर भी जुर्म हो जाये तो समाज में नागरिकों की सुरक्षा को राम भरोसे ही कहा जा सकता है। ऐसा लगता है कि कुख्यात अपराधियों के आगे जेल प्रशासन बेदम है। यही वजह है कि जेल के भीतर भी अपराधी जंगलराज चला रहे हैं। कम से कम मंगलवार को जिस ढंग से दुर्दांत अपराधी टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई वह जेल के भीतर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाती है। यह जेलतंत्र के लिये भी शर्म की बात है कि कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिन अपराधियों को जेल के भीतर कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है, वे पुलिस अभिरक्षा में गैंगवार के शिकार हो जाते हैं। जाहिर है देश की जेल व्यवस्था में सबकुछ ठीक-ठाक नहीं हैं, जिसमें आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। यदि जेल के भीतर से ही अपराधी अपना काला साम्राज्य चलाने लग जायें तो भयमुक्त समाज का लक्ष्य पाना असंभव हो जाएगा। असल में, यदि देश में जरूरत से ज्यादा ठूंस-ठूंस कर भरे कैदियों की संख्या को नियंत्रित नहीं किया जाता तो जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाये रखना असंभव हो जायेगा। बार-बार विचाराधीन कैदियों को राहत देने का मुद्दा उठता रहता है ताकि जेलों में कैदियों का दबाव कम किया जाये। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में कोई योजना सिरे नहीं चढ़ पा रही है। सरकार व सर्वोच्च न्यायालय को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। साथ ही जेल सुधार के उपायों के क्रियान्वयन पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। दरअसल, जिस गति से अपराधियों के अपराध के तौर-तरीके हाईटेक होते जा रहे हैं, उसके मद्देनजर जेलतंत्र में आमूल-चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। निस्संदेह, तिहाड़ जेल की हालिया घटनाओं से आम आदमी भी भयभीत होगा कि जब एक हाईटेक जेल के भीतर अपराधी अपने शिकार पर आसानी से निशाना साध लेते हैं तो समाज में कैसे आराम से अपराधों को अंजाम दे सकते हैं। देश की अपराध नियंत्रण व्यवस्था की खमियों को समय रहते दूर करना होगा, ताकि अपराधी गिरोहों को खेलने का मौका न मिल सके। यही तभी संभव होगा जब जेल प्रशासन,राज्य सरकार व गृहमंत्रालय सुरक्षा के उपायों को कारगर रणनीति बनाकर क्रियान्वित करें। ■

शराब के मामले का छुपा रुस्तम कौन?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा इस उपलब्धि को राजनैतिक रूप से भुनाने का प्रयास करेगी या नहीं?

योगी सरकार को चार साल पहले शराब से मात्र 14000 करोड़ का राजस्व मिला करता था जो अभी 400000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। देश के सबसे बड़े प्रदेश में अभी हाल तक शराब की पैठ काफी कम मानी जाती थी। राज्य में देश की कुल खपत का मात्र पांच फीसदी हिस्सा ही शराब खपत होती थी। अब चार साल में यह दस फीसदी पहुंच गई है अर्थात चार साल में 200 फीसदी की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा वृद्ध बियर की खपत में हुई है जो 350 फीसदी से भी ज्यादा है। अगर शराब कंपनियों के हिसाब से देखें तो कई की बिक्री में चार सौ फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है।

अरविन्द मोहन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा इस उपलब्धि को राजनैतिक रूप से भुनाने का प्रयास करेगी या नहीं, क्योंकि अभी हाल तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शराब पीना एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाता था। होली दिवाली पर भी बहुत कम ही लोग शराब पीते थे। और यह फौजियों तथा कुछ खास मुश्किल काम करने वालों के पीने भर की चीज मानी जाती थी।

यह हिसाब लगाना मुश्किल है कि लोगों द्वारा दी जाने वाली शराब ज्यादा ज्वलनशील है या हमारी राजनीति में इसे लेकर उठाने वाले बवाल। पर यह कहने में कोई मुश्किल नहीं है कि अभी दस साल पहले तक इन दोनों मोर्चों पर शराब की 'प्रतिष्ठा' इतनी न थी। भांग, गाँजा, तंबाकू-हुक्का वगैरह का चलन तो था लेकिन ज्यादा न था और उन्हें लेकर बहुत हंगामा नहीं था।

साधुओं को छोड़ दें तो आम लोगों में से जो कोई इनका सेवन करता था वह कुछ अपराध भाव से ही करता था। और आजादी की लड़ाई के साथ

गांधी ने शराब और नशामुक्ति की मुहिम छेड़कर इस सवाल पर इसका सेवन करने वालों को और भी ज्यादा रक्षात्मक मुद्रा अपनाने को मजबूर कर दिया। और उसी प्रभाव में गुजरात और महाराष्ट्र के वर्धा जिले में शुरू से, और अन्य राज्यों में भी शराबबंदी होती रही है।

1977 की जनता सरकार ने तो इसे देश के स्तर पर लागू करने का असफल प्रयोग किया। शराब के नशे से पीड़ित परिवारों की औरतों के दबाव से अनेक राज्यों में शराबबंदी लागू हुई और फिर राजस्व के दबाव तथा नकली शराब के कहर के चलते शराबबंदी उठती भी रही है। बिहार में जरूर नीतीश कुमार ने बिना किसी आंदोलन के दबाव से अपनी सोच के अनुसार शराबबंदी की है और अब तक अड़े हुए हैं जबकि राजस्व और प्रशासन दोनों पर इसका दबाव बहुत साफ दिखता है।

अब राजस्व का दबाव राज्यों पर इतना क्यों बढ़ा है और पहले क्यों कम था, यह एक बड़ा सवाल है। इससे भी ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि राज्य क्यों सिर्फ नशे के धंधे को ही राजस्व बढ़ाने का जरिया बनाते हैं। केंद्र के विभिन्न वेतन बोर्डों द्वारा कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन ने राज्यों पर काफी दबाव बनाया है, इस बुनियादी बात को नहीं भूलना चाहिए। और उससे भी ज्यादा साफ दिखने वाला नुकसान बार-बार नकली शराब पीने से होने वाले नुकसान का है। और इस मामले में अपनी जिद पर आड़े नीतीश कुमार बार बार विपक्ष, खासकर भाजपा के निशाने पर आते है। शुरू में उन्होंने नकली शराब पीने वालों को मुआवजा न देने के मामले में भी मजबूती दिखाई थी लेकिन अब नरम पड़े हैं। और जब नीतीश पर इस सवाल के चलते विपक्षी हमला होता है तो भाजपा विरोधी लोग गुजरात और हरियाणा जैसे भाजपा शासित राज्यों की ऐसी मानवीय त्रासदियों का मसला उठाते हैं। बिहार के बारे में यह भी जाहिर हुआ है कि राजस्व नुकसान के साथ प्रशासन, खासकर पुलिस प्रशासन बुरी तरह इसी मसले पर उलझा है। अदालतों में शराब से जुड़े मामले सबकी नाक में दम किए हुए हैं।

भाजपा की तरफ से नीतीश सरकार पर जितना हमला होता है उससे ज्यादा अभी दिल्ली की आप सरकार पर हो रहा है। बिहार के शासन में भाजपा भी भागीदार रही है पर दिल्ली में आप ने उसे बार-बार पीटा है। सो उसके इस हमले में राजनीति का हिस्सा काफी बड़ा है। लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने और सब कुछ प्रत्यक्ष दिखने वाले अंदाज में करने के वायदे के साथ आई आप की सरकार के कुकर्म भी कम नहीं हैं जिसने दिल्ली को शराब से पाट देने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। इसमें भ्रष्टाचार हुआ या नहीं यह कहना अभी जल्दबाजी होगी लेकिन जितने पेंच भाजपा की तरफ लगाए जा रहे हैं उतने ही पेंच आप के भी दिखते हैं। और परदेदारी तो जबरदस्त है। दिल्ली में शराब की बिक्री और राजस्व के आंकड़े भी अस्वाभाविक 'प्रगति' दिखाते हैं जो नई राजनीति का दावा करने वाली पार्टी के लिए शर्म का विषय होना चाहिए। और इस चक्कर में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री जब जेल जाने लगे तो आप की सारी कोशिश उन्हें आबकारी विभाग का मंत्री बताने की जगह शिक्षा विभाग का मंत्री बताने की हुई जिस मामले में राज्य सरकार का रिकार्ड थोड़ा बेहतर है।

जो बात सबसे छुपी हुई है वह यह है कि देश में शराब की बिक्री और राजस्व की बढ़ोतरी के मामले में सबसे 'बढ़िया' रिकार्ड उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का है। और शराब के व्यापारी योगी सरकार की नीतियों को सबसे उपयोगी, सरल और प्रभावी मानते हैं। उनकी यह इच्छा भी है कि अन्य राज्य सरकारें योगी सरकार की नीतियों का अनुसरण करें। और बात सिर्फ कहने सुनने की नहीं है। कई ब्रांडों की बिक्री में उत्तर प्रदेश देश का नंबर एक प्रांत बन चुका है।

जो बात सबसे छुपी हुई है वह यह है कि देश में शराब की बिक्री और राजस्व की बढ़ोतरी के मामले में सबसे 'बढ़िया' रिकार्ड उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का है। और शराब के व्यापारी योगी सरकार की नीतियों को सबसे उपयोगी, सरल और प्रभावी मानते हैं। उनकी यह इच्छा भी है कि अन्य राज्य सरकारें योगी सरकार की नीतियों का अनुसरण करें। और बात सिर्फ कहने सुनने की नहीं है। योगी सरकार को चार साल पहले शराब से मात्र 14000 करोड़ का राजस्व मिला करता था जो अभी 400000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। देश के सबसे बड़े प्रदेश में अभी हाल तक शराब की पैठ काफी कम मानी जाती थी। राज्य में देश की कुल खपत का मात्र पांच फीसदी हिस्सा ही शराब खपत होती थी। अब चार साल में यह दस फीसदी पहुंच गई है अर्थात चार साल में 200 फीसदी की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा वृद्ध बियर की खपत में हुई है जो 350 फीसदी से भी ज्यादा है। अगर शराब कंपनियों के हिसाब से देखें तो कई की बिक्री में चार सौ फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। कई ब्रांडों की बिक्री में उत्तर प्रदेश देश का नंबर एक प्रांत बन चुका है।

अब यह कहना मुश्किल है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा इस उपलब्धि को राजनैतिक रूप से भुनाने का प्रयास करेगी या नहीं, क्योंकि अभी हाल तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शराब पीना एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाता था। होली दिवाली पर भी बहुत कम ही लोग शराब पीते थे। और यह फौजियों तथा कुछ खास मुश्किल काम करने वालों के पीने भर की चीज मानी जाती थी। भांग, तंबाकू और गांजा को वैसी बुराई नहीं माना जाता था। पर अब सरकार ने प्रदेश में शराब की बिक्री सबसे लिए आसान कर दी है। जिस कंपनी को इच्छा हों वह आए, एक मोटी रकम भरे और थोक बिक्री शुरू कर दे। इसके साथ ही सरकार डंडा लेकर रखवाली करती है कि कोई दूसरा बिना पैसे दिए माल न बेच पाए। नकली शराब की बिक्री पर सख्ती है और ई-गवर्नेंस की मदद से चुस्ती बरती जा रही है। इन सबमें हर्ज नहीं है, बशर्ते ऐसी चुस्ती शासन के अन्य मामलों में भी दिखे और ऐसा ही रिजल्ट दूसरे मामलों में भी दिखे। सिर्फ शराब की बिक्री में दिन दूनी रात चौगुनी की बढ़त दिखे तो शर्म का विषय होना चाहिए।

मणिपुर हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन?

अरुण श्रीवास्तव

एक अन्य कारक जिसने मणिपुर के संकट में अपना योगदान किया वह है, राज्य सरकार का कुकी उग्रवादी समूहों से बात करने की प्रक्रिया से हटना। इससे भी बुरी बात यह है कि कुकी का अपमान किया जाता है और मेइती उन पर मणिपुर छोड़ने के लिए दबाव डाल रहे हैं इस दलील पर कि वे बाहरी हैं। इन लोगों की पहचान शरणार्थी और अवैध अप्रवासी के रूप में भी की जाती है। न तो सरकार और न ही मेइती नेता कुकी की इस दलील को सुनने को तैयार हैं कि उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।

आदिवासियों को पूरे भारत में वनवासी कहने की अपनी रणनीति का सहारा लेते हुए, मणिपुर में आरएसएस ने भी आदिवासियों को मूलवासी के रूप में नहीं पहचाना। आदिवासी अपनी पहचान के खतरे से डरे हुए हैं। हालांकि आरएसएस आदिवासी आबादी में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे अपने मिशन में बहुत सफल नहीं हुए हैं।

मणिपुर के मुख्यमंत्री एनबीरेन सिंह ने दो समुदायों मेइती और कुकी के बीच मतभेदों को हल करने के लिए अपनी नैतिक जवाबदेही से किनारा कर लिया, और इसके बजाय बहुसंख्यक मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने के मुद्दे पर 'समाज के दो वर्गों के बीच मौजूदा गलतफहमी' को वर्तमान नरसंहार के लिए दोषी ठहराया, जिसमें अब तक कम से कम 80 लोग मारे जा चुके हैं।

स्थिति की अस्थिरता को समझने में उनकी पूरी तरह से विफलता उनके इस संकल्प में परिलक्षित हुई कि समुदायों की दीर्घकालिक शिकायतों को उनके और उनके प्रतिनिधियों के परामर्श से उपयुक्त रूप से संबोधित किया जायेगा। पार्टी के भीतर बीरेन सिंह के नेतृत्व का हालिया विरोध भी सदन को एक साथ रखने में उनकी विफलता को रेखांकित करता है।

यह पहली बार नहीं है जब भाजपा के भीतर विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़े हुए हैं। चूंकि वह जानते हैं कि दोनों समुदायों के बीच जातीय संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है, इसलिए उन्हें स्थिति को बिगड़ने देने के बजाय तत्काल कदम उठाने चाहिए थे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मणिपुर और वहां के लोग भगवा ब्रिगेड की राजनीतिक साजिश का शिकार बने। कुकी जहां पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वहीं मेइती का मैदानी इलाकों पर दबदबा है। कुछ समय से मेइती पहाड़ों में बसने लगे हैं जो कुकी और नगा दोनों को पसंद नहीं है।

इंफाल घाटी और आसपास की पहाड़ियों में जातीय समूहों के बीच आपसी संदेह का एक लंबा इतिहास रहा है जो भाजपा के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार द्वारा आरक्षित जंगलों से आदिवासी ग्रामीणों को बेदखल करने के अभियान के बाद हिंसक संघर्ष में बदल गया। फरवरी में शुरू हुए बेदखली अभियान में वनवासियों को अतिक्रमणकारी घोषित किया गया और इसे

आदिवासी विरोधी के रूप में देखा गया। इसने न केवल कुकीयों के बीच, जो सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे, बल्कि अन्य आदिवासियों के बीच भी चिंता और असंतोष पैदा किया, जिनके गांव आरक्षित वन क्षेत्रों के भीतर हैं। आदिवासियों का कहना है कि वनों को अधिसूचित किये जाने से पहले भी वे जंगलों के निवासी रहे हैं।

सिंह और उनकी सरकार के खिलाफ उनके गुस्से का इजहार पिछले हफ्ते तब हुआ जब बिरेन सिंह के चूड़ाचंदपुर दौरे से ठीक पहले भीड़ ने तोड़फोड़ की। यह हमला चूड़ाचंदपुर जिले में स्वदेशी जनजाति नेताओं के मंच द्वारा बुलाये गये 'बंद' से 11 घंटे पहले हुआ था। फोरम ने कहा कि आरक्षित वनों से किसानों और अन्य आदिवासियों को बेदखल करने के अभियान के खिलाफ बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद, 'सरकार ने लोगों की दुर्दशा को दूर करने की इच्छा या गंभीरता का कोई संकेत नहीं दिखाया है'।

मार्च में, कांगपोकपी में एक हिंसक झड़प हुई जब प्रदर्शनकारियों ने 'आरक्षित वनों, संरक्षित वनों और वन्यजीव अभयारण्य के नाम पर आदिवासियों की भूमि के अतिक्रमण' के खिलाफ एक रैली आयोजित करने का प्रयास किया। सिंह सरकार ने संयम दिखाने के बजाय दो कुकी-आधारित उग्रवादी संगठनों - कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी के साथ त्रिपक्षीय सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (एसओओ) वार्ता वापस ले ली।

कैबिनेट ने दोहराया कि 'राज्य सरकार सरकारी वन संसाधनों की रक्षा और अफीम की खेती को खत्म करने के लिये उठाये गये कदमों से कोई समझौता नहीं करेगी'। इसके ठीक बाद इंफाल के ट्राइबल कॉलोनी इलाके में तीन चर्चों को 11 अप्रैल को सरकारी जमीन पर 'अवैध निर्माण' करने के आरोप में ध्वस्त कर दिया गया, जिससे असंतोष और बढ़ गया।

आदिवासियों को पूरे भारत में वनवासी कहने की अपनी रणनीति का सहारा लेते हुए, मणिपुर में आरएसएस ने भी आदिवासियों को मूलवासी के रूप में नहीं पहचाना। आदिवासी अपनी पहचान के खतरे से डरे हुए हैं। हालांकि आरएसएस आदिवासी आबादी में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे अपने मिशन में बहुत सफल नहीं हुए हैं।

मेइती दबाव समूहों ने अपनी ओर से मणिपुर राज्य के नक्शे में क्षेत्रों पर अधिकार के किसी भी ह्रास के खिलाफ दशकों से जोरदार अभियान चलाया है। अफीम की खेती को समाप्त करने के लिए मणिपुर सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर चलाये गये अभियान ने राज्य में स्थिति को और खराब कर दिया। इसने मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों को निशाना बनाया। सूत्रों की मानें तो आरएसएस अपना आधार बढ़ाने के मिशन पर है। यह अपने काम को पूरा करने के लिए मेइती लोगों का इस्तेमाल करता रहा है। जाहिर है, यह मेइती लोगों के आवासीय क्षेत्रों के विस्तार के खिलाफ नहीं है। इससे आरएसएस को क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों के विस्तार को रोकने में मदद मिलेगी।

मौजूदा कानूनों के तहत मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को पहाड़ी जिलों में जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है जहां एक निर्वाचित पहाड़ी क्षेत्र समिति को प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त है। लेकिन अब एसटी का दर्जा दिये जाने के बाद मेइती आदिवासियों की जमीनें खरीद सकते हैं। स्थिति कमोबेश कश्मीर जैसी ही है, जहां धारा 370 को खत्म करने के बाद गैर-कश्मीरियों ने जमीन खरीदने का अधिकार अर्जित किया है। यह विशुद्ध रूप से इस क्षेत्र से ईसाइयों को मिटाने और कुकी और नागाओं को हिंदुत्व स्वीकार करने के लिए मजबूर करने का एक षडयंत्र है।

मौजूदा कानूनों के तहत मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को पहाड़ी जिलों में जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है जहां एक निर्वाचित पहाड़ी क्षेत्र समिति को प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त है। लेकिन अब एसटी का दर्जा दिये जाने के बाद मेइती आदिवासियों की जमीनें खरीद सकते हैं। स्थिति कमोबेश कश्मीर जैसी ही है, जहां धारा 370 को खत्म करने के बाद गैर-कश्मीरियों ने जमीन खरीदने का अधिकार अर्जित किया है। यह विशुद्ध रूप से इस क्षेत्र से ईसाइयों को मिटाने और कुकी और नागाओं को हिंदुत्व स्वीकार करने के लिए मजबूर करने का एक षडयंत्र है।

वास्तव में इंफाल घाटी में सिकुड़ती भूमि और अन्य संसाधनों के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्रों को दी गयी सुरक्षा और गैर-आदिवासियों पर वहां जमीन खरीदने पर प्रतिबंध के कारण मेइती लोगों के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग उठी। राज्य में सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक मापदंडों के मामले में अन्य जनजातियों, विशेषकर कुकी-जोमी समूह की तुलना में मेइती की स्थिति बेहतर है। इसलिए, छोटी जनजातियों के बीच एक भावना है कि एसटी का दर्जा ही एकमात्र बढ़त है जो बड़े समुदाय पर है। अब चूंकि मेइती इस विशेषाधिकार का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए वे इस लाभ को खो देंगे।

एक अन्य कारक जिसने मणिपुर के संकट में अपना योगदान किया वह है, राज्य सरकार का कुकी उग्रवादी समूहों से बात करने की प्रक्रिया से हटना। इससे भी बुरी बात यह है कि कुकी का अपमान किया जाता है और मेइती उन पर मणिपुर छोड़ने के लिए दबाव डाल रहे हैं इस दलील पर कि वे बाहरी हैं। इन लोगों की पहचान शरणार्थी और अवैध अप्रवासी के रूप में भी की जाती है। न तो सरकार और न ही मेइती नेता कुकी की इस दलील को सुनने को तैयार हैं कि उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एंग्लो-कुकी युद्ध (1917-19) का एक अभिलेखीय रिकॉर्ड है।

शांति बनाये रखने का ममता का नायाब तरीका

डॉ. समन्वय नन्द

इस्लामी आतंकवाद के बारे में चर्चा से मुसलमानों की भावनाएं आहत होने के ऐसे तर्कों का पुराना इतिहास रहा है। पिछली यूपीए सरकार के तत्कालीन गृहमंत्री सुशील शिंदे ने इसी को देखते हुए काल्पनिक 'हिन्दु आतंकवाद' शब्द को प्रचारित करने का प्रयास किया था ताकि मुसलमानों की भावनाएँ शान्त हो सके। ममता बनर्जी इसी को आगे बढ़ा रही हैं। इस फिल्म को लेकर तमिलनाडु में स्टालिन सरकार ने भी यही कार्य किया है। उसका भी तर्क लगभग ममता बनर्जी का तर्क है।

कुछ दिनों से 'द केरला स्टोरी' फिल्म देशव्यापी चचाओं में है। फिल्म में हिन्दू व क्रिश्चियन लड़कियों को बहला-फुसला कर तथा ब्रेन वाश कर इस्लाम में कन्वर्ट किये जाने के घटनाओं को दशार्या गया है। आईएसआईएस जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन के आतंकवादियों के यौन दासी बनने के लिए भेजने संबंधी दिल दहला देने संबंधी घटनाओं को दिखाया गया है। सालों के रिसर्च के बाद यह फिल्म बनायी गई है। फिल्म के रिलीज के बाद इसके चरित्रों से मेल खाने वाली लड़कियां मीडिया में आकर आपबीती सुना रही हैं। फिल्म को पूरे देश में सराहा जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अब 'द केरला स्टोरी' फिल्म नहीं देखी जा सकेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फिल्म को राज्य में बैन करने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इस पर बैन लगाने के पीछे जो तर्क दिया है वह नायाब है। उन्होंने कहा कि ऐसा राज्य में नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने के लिए किया गया है, ताकि बंगाल के शहरों में शांति बनी रहे।

यहां इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि देश में एक फिल्म रिलीज होने से पूर्व जिन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है उन सब प्रक्रिया से फिल्म गुजर कर रिलीज हुई है। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को देखने के बाद इस फिल्म में आवश्यक संशोधन किए हैं। कुछ डाइलॉग्स हटाये गये हैं। कुछ को बदला गया है। इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी लेकिन न्यायालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ही यह फिल्म पूरे देश के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।

इसके बावजूद ममता बनर्जी को लगता है कि बंगाल में इस फिल्म के प्रदर्शन से राज्य की शांति बाधित हो सकती है। ममता बनर्जी शायद कहना चाह रही होंगी इस फिल्म के प्रदर्शन से खास वर्ग

की भावनाएं आहत हो जाएंगी और इसके बाद शांति बाधित होगी।

यह फिल्म वास्तव में कुख्यात आतंकवादी संगठन आईएसआईएस व उसके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क व काले कारनामों की कहानी को दशार्ता है। लेकिन यह बात समझ से परे है कि आईएसआईएस के काले कारनामे, उसके अमानवीय कृत्यों को दिखाने पर पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की भावनाएं क्यों आहत होंगी? पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की भावनाएं आहत हो या न हो पर ममता बनर्जी को लगता है कि इस फिल्म से निश्चित रूप से मुसलमानों की भावनाएं आहत हो जाएगी। तभी उन्होंने इस फिल्म को राज्य में प्रतिबंधित कर दिया है।

वैसे भारत में जो स्थिति है उससे एक बात तो तय है कि मुसलमानों की भावनाएँ अब कब और किस बात पर भड़क जायें, इसका कोई ठिकाना नहीं है। पूरे देश भर में पिछले दिनों रामनवमी व हनुमान जयंती मनाई गई। पश्चिम बंगाल में रामनवमी बड़े पैमाने पर मनाई जाती है तथा शोभायात्राएं निकाली जाती है। पश्चिम बंगाल में ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तब घोषणा कर दी कि हिन्दुओं को रामनवमी पर शोभायात्रा निकालने से बचना चाहिए। मुसलमान बहुल इलाकों में से कतई नहीं निकालना चाहिए। लेकिन बंगाल के हिन्दुओं ने अपने परंपरा का निर्वाह करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी के दिन शोभायात्रा निकाली।

ममता बनर्जी को लगता है कि बंगाल में इस फिल्म के प्रदर्शन से राज्य की शांति बाधित हो सकती है। ममता बनर्जी शायद कहना चाह रही होंगी इस फिल्म के प्रदर्शन से खास वर्ग की भावनाएं आहत हो जाएंगी और इसके बाद शांति बाधित होगी। यह फिल्म वास्तव में कुख्यात आतंकवादी संगठन आईएसआईएस व उसके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क व काले कारनामों की कहानी को दर्शाता है। लेकिन यह बात समझ से परे है कि आईएसआईएस के काले कारनामे, उसके अमानवीय कृत्यों को दिखाने पर पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की भावनाएं क्यों आहत होंगी?

वैसे भारत में जो स्थिति है उससे एक बात तो तय है कि मुसलमानों की भावनाएँ अब कब और किस बात पर भड़क जायें, इसका कोई ठिकाना नहीं है। पूरे देश भर में पिछले दिनों रामनवमी व हनुमान जयंती मनाई गई। पश्चिम बंगाल में रामनवमी बड़े पैमाने पर मनाई जाती है तथा शोभायात्राएं निकाली जाती है। पश्चिम बंगाल में ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तब घोषणा कर दी कि हिन्दुओं को रामनवमी पर शोभायात्रा निकालने से बचना चाहिए। मुसलमान बहुल इलाकों में से कतई नहीं निकालना चाहिए।

जैसा कि ममता बनर्जी ने पहले ही बताया था कि मुसलमानों के भावनाएं भड़क गईं और घरों की छतों से पत्थरों से शोभायात्रा में शामिल लोगों पर हमला कर दिया गया। ममता बनर्जी ने इसके बाद कहा कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हिन्दू शोभायात्रा न निकालें लेकिन उनकी बात की अनदेखी की गई। ऐसा कह कर ममता बनर्जी की पुलिस ने राज्य में शांति स्थापना करने के लिए हमलावरों को गिरफ्तार करने के बजाय शोभायात्रा में भाग लेने वाले लोगों को गिरफ्तार करने लगी। वैसे बाद में कोलकाता हाइकोर्ट ने इस मामले की जांच ममता की पुलिस से छीनकर एनआईए को दे दिया है। इस फिल्म को लेकर तमिलनाडु में स्टालिन सरकार ने भी यही कार्य किया है। उसका भी तर्क लगभग ममता बनर्जी का तर्क है।

लिहाजा, इस्लामी आतंकवाद के बारे में चर्चा से मुसलमानों की भावनाएं आहत होने के ऐसे तर्कों का पुराना इतिहास रहा है। पिछली यूपीए सरकार के तत्कालीन गृहमंत्री सुशील शिंदे ने इसी को देखते हुए काल्पनिक 'हिन्दु आतंकवाद' शब्द को प्रचारित करने का प्रयास किया था ताकि मुसलमानों की भावनाएँ शान्त हो सके। ममता बनर्जी इसी को आगे बढ़ा रही हैं।

भारत में इतने मिग-21 क्रैश क्यों?

सत्यवान 'सौरभ'

मिग-21 रुस का तैयार एक फाइटर विमान है। इसका इंजन काफी पुराना है और इसके साथ ही इसमें इस्तेमाल किए गए तकनीक भी काफी पुराने हैं। ये एक सिंगल इंजन वाला होता है और इसमें आग भी लग जाती है। इसका इस्तेमाल करने की क्षमता कहीं अधिक है। जांच में सामने आया है कि इसकी खिड़कियों की डिजाइन में भी कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह क्रैश जैसे हादसे हुए। हालांकि इसे 2025 में रिटायर किया जाएगा। इसने अपनी पहली उड़ान साल 1955 में भरी थी और भारतीय वायु सेना में साल 1963 में शामिल किया गया।

मिग-21 लड़ाकू जहाज, जिन्हें साठ के दशक में तत्कालीन सोवियत संघ (अब रूस) से खरीदा गया था। रूस इस फाइटर प्लेन को 1985 में रिटायर कर चुका है, लेकिन भारतीय सेना में आज भी इन जहाजों का इस्तेमाल हो रहा है। इस जहाज की खासियत रही है कि यह कभी धोखा नहीं देता, बशर्ते इसे पूरी सावधानी एवं सूझबूझ के साथ उड़ाया जाए। 1971 की लड़ाई में इस सुपरसोनिक जहाज की मार से दुश्मन कांप उठा था। ढाका के गवर्नर हाउस पर मिग-21 ने ही अटैक किया था। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ 1965 और 1999 की लड़ाई में भी इस लड़ाकू जहाज खुद को साबित कर दिखाया था। अब इस जहाज के क्रैश होने की घटनाएं इतनी ज्यादा हो चली हैं कि इसे 'उड़ता ताबूत' और 'विधवा बनाने वाला' तक कहा जाने लगा है। हालांकि इसका अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, ऐसे में क्या अगले दो तीन साल में इसे पूरी तरह से रिटायर कर दिया जाएगा।

मिग-21 बाइसन विमानन इतिहास का पहला सुपरसोनिक जेट विमान है और दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फाइटर जेट भी है। जबकि यह 60 साल से अधिक पुराना है, मिग -21 अभी भी चार सक्रिय स्क्वाड्रनों के साथ भारतीय वायु सेना के साथ सेवा में है, और जेनरेशन 3 फाइटर जेट्स से मेल खाने के लिए अपडेट किया गया है। जेट वर्तमान में केवल इंटरसेप्टर के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं, लड़ाकू जेट के रूप में सीमित भूमिका के साथ और ज्यादातर प्रशिक्षण अभ्यास के लिए उपयोग किए जाते हैं। मिकोयान-गुरेविच मिग 21 एक सुपरसोनिक जेट लड़ाकू और इंटरसेप्टर विमान है, जिसे सोवियत संघ में मिकोयान-गुरेविच डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। मिग सोवियत संघ का एक उत्पाद है जिसने 1959 में सेवा में प्रवेश किया था। चार महाद्वीपों पर लगभग 60 देशों ने मिग-21 को उड़ाया है, और यह अपनी पहली उड़ान के छह दशक बाद भी कई देशों की सेवा करता है।

भारत ने 1963 में मिग-21 को शामिल किया और देश में विमान बनाने के लाइसेंस-निर्माण के लिए पूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अधिकार प्राप्त किए। 1985 में रूस ने विमान का उत्पादन बंद कर दिया, जबकि भारत ने उन्नत रूपों का संचालन जारी रखा। सोवियत वायु सेना - जिसे विमान को डिजाइन करने का श्रेय दिया

जाता है - ने इसे 1985 में सेवा से हटा दिया। तब तक, अमेरिका से लेकर वियतनाम तक के देशों ने विमान को अपनी वायु सेना में शामिल कर लिया था। 1985 के बाद बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने इसे सेवा से हटा दिया। भारत के लिए, विमान को 1960 के दशक में वायु सेना में शामिल किया गया था और 1990 के दशक के मध्य में उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि पूरी हो गई थी। इसके बावजूद इनका उन्नयन किया जा रहा है। अक्टूबर 2014 में, वायु सेना प्रमुख ने कहा कि पुराने विमानों को सेवा से हटाने में देरी से भारत की सुरक्षा को खतरा है क्योंकि बेड़े के कुछ हिस्से पुराने थे।

इसके अलावा, एक इंजन वाला विमान होने का मतलब है कि यह हमेशा खतरे में रहता है। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना तब बढ़ जाती है जब कोई पक्षी उससे टकराता है या इंजन फेल हो जाता है।

इसे अक्सर 'फ्लाइंग कॉफिन' और 'विडो मेकर' कहा जाता है, क्योंकि इसने पिछले कुछ वर्षों में कई दुर्घटनाओं का सामना किया है, जिसमें कई पायलट मारे गए हैं। नए लड़ाकू विमानों को शामिल करना। देरी के कारण, भारतीय वायुसेना को भारत के आसमान की रक्षा के लिए एक निश्चित स्क्वाड्रन ताकत बनाए रखने की कमी का सामना करना पड़ रहा है। स्वदेशी तेजस कार्यक्रम में देरी, राफेल सौदे के आसपास के राजनीतिक

1985 के बाद बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने मिग विमान को सेवा से हटा दिया। अक्टूबर 2014 में, वायु सेना प्रमुख ने कहा कि पुराने विमानों को सेवा से हटाने में देरी से भारत की सुरक्षा को खतरा है क्योंकि बेड़े के कुछ हिस्से पुराने थे। इसके अलावा, एक इंजन वाला विमान होने का मतलब है कि यह हमेशा खतरे में रहता है। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना तब बढ़ जाती है जब कोई पक्षी उससे टकराता है या इंजन फेल हो जाता है। इसे अक्सर 'फ्लाइंग कॉफिन' और 'विडो मेकर' कहा जाता है, क्योंकि इसने पिछले कुछ वर्षों में कई दुर्घटनाओं का सामना किया है, जिसमें कई पायलट मारे गए हैं।

विवाद और धीमी गति वाली खरीद प्रक्रिया का मतलब है कि मिग को अंदर रखा जाना था। सामान्य से अधिक लंबी सेवा, अपनी सेवानिवृत्ति अवधि से परे - 1990 के दशक के मध्य में।

पिछले दस वर्षों में, 108 हवाई दुर्घटनाएं और नुकसान हुए हैं जिनमें सेना के सभी अंग शामिल हैं - भारतीय वायु सेना, नौसेना, सेना और तटरक्षक बल। इनमें से 21 दुर्घटनाओं में मिग-21 बाइसन और इसके वेरिएंट शामिल हैं, हालांकि भारतीय वायुसेना अब ज्यादातर पूर्व में उड़ती है।

दुर्घटनाओं की उच्च दर ने विमान को 'फ्लाइंग कॉफिन' का उपनाम दिया। सैन्य विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने का कोई एक सामान्य कारण नहीं है। वे मौसम, मानवीय त्रुटि, तकनीकी त्रुटि से लेकर पक्षी हिट तक हो सकते हैं। मिग-21 एक इंजन वाला लड़ाकू विमान है, और यह कुछ दुर्घटनाओं का कारण भी हो सकता है। यह सिंगल इंजन फाइटर है और जब यह इंजन खो देता है, तो इसे फिर से शुरू करने की आवश्यकता होती है। अधिक बार यह फिर से रोशनी नहीं करता है लेकिन किसी भी इंजन को फिर से रोशन करने में एक सीमित समय लगता है, इसलिए यदि आप न्यूनतम ऊंचाई से नीचे हैं, तो आपको विमान छोड़ना होगा।

भविष्य के विमान दुर्घटनाओं को रोकना प्रौद्योगिकी के संयोजन और उपयुक्त और पर्याप्त पायलट प्रशिक्षण के उपयोग में निहित है। विमान में ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम की स्थापना प्रारंभिक संकेत उत्पन्न करेगी जो सीएफआईटी की शुरूआत के खिलाफ निवारक उपाय करने के लिए उड़ान चालक दल को सचेत कर सकती है। स्थितिजन्य जागरूकता विकसित करने और सही हस्तक्षेप करने के लिए पायलटों के प्रभावी प्रशिक्षण पर पायलट प्रशिक्षण में जोर दिया जाना चाहिए।

विवाह जैसे पवित्र बंधन के विरुद्ध ही है समलैंगिक विवाह

विवाह स्वयं संवैधानिक संरक्षण का हकदार है क्योंकि ये केवल वैधानिक मान्यता का मामला नहीं है। कोर्ट ने जातिगत भेदभाव और छुआछूत को खत्म करने के संवैधानिक प्रविधानों का हवाला देते कहा कि संविधान खुद ही परंपराए तोड़ने वाला है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार और जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता की मांग का विरोध किया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं लंबित हैं जिनमें विशेष विवाह अधिनियम व अन्य कानूनों को भेदभाव वाला बताते हुए चुनौती दी गई है।

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने को लेकर सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ के सम्मुख चल रही है। सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह तथ्य ध्यान रखने वाला है कि विवाह की अवधारणा विकसित हुई है। इस मूल बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि विवाह स्वयं संवैधानिक संरक्षण का हकदार है क्योंकि ये केवल वैधानिक मान्यता का मामला नहीं है। कोर्ट ने जातिगत भेदभाव और छुआछूत को खत्म करने के संवैधानिक प्रविधानों का हवाला देते कहा कि संविधान खुद ही परंपराए तोड़ने वाला है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार और जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता की मांग का विरोध किया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं लंबित हैं जिनमें विशेष विवाह अधिनियम व अन्य कानूनों को भेदभाव वाला बताते हुए चुनौती दी गई है।

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि कोर्ट को इस बारे में कोई आदेश नहीं देना चाहिए और यह मामला विधायिका पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां सवाल है कि क्या समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने का मौलिक अधिकार है? इस दलील पर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप थोड़ी देर को समलैंगिक जोड़ों को

छोड़ दीजिये, यह बताइये कि क्या किसी को भी शादी करने का मौलिक अधिकार है।

पुस्तक यौन मनोविज्ञान के लेखक हेवलॉक एलिस समलैंगिक मैथुन को लेकर लिखते हैं 'हमें यह मानना ही होगा कि प्रत्येक सेक्स क्रोमोसोम में, चाहे वह एक्स-एक्स हो चाहे एक्स-वाई, उस आवेग का वह शारीरिक आधार निहित रहता है जो विकासमान व्यक्ति का पुरुष या स्त्री होना निश्चित करता है। जब दो अलग-अलग वंश जातियों के दो व्यक्तियों का संयोग होता है तो उससे अक्सर संतान स्वाभाविक नहीं होती और नर संतान में मादा के स्वभाव की प्रवृत्ति हो सकती है और अन्य परिस्थितियों में मादा संतान में नर के स्वभाव की प्रवृत्ति दिखाई पड़ सकती है। पंखियों के वर्ग में (जिनमें इस प्रक्रिया का विशेष रूप से अध्ययन किया गया है) ऐसा ही होता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति के दो तरह के प्रभाव पैदा हो सकते हैं, जिनमें से एक को प्रबल और दूसरे को दुर्बल का नाम दिया गया है। यहां हम निम्न प्राणि-वैज्ञानिक रूपों में अंतरयौनता की अवस्था प्रत्यक्ष करते हैं। जब हम मानव पर आते हैं और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो यह अंतरयौनता की अवस्था कभी-कभी (यद्यपि गलत तौर से) अंतर्वर्ती लिंग की दशा बताई जाती है। यदि कड़ाई के साथ कहा जाए तो वह पुरुष और स्त्रीलिंग को निश्चित करने वाले तत्त्वों में मात्रागत असंगति के होने का नतीजा है।

यह अंतरयौनता की अवस्था व्यक्ति की वंशानुक्रम से प्राप्त शारीरिक बनावट का एक हिस्सा होती है और इस कारण वह जन्मजात होती है और ज्यों-ज्यों विकास होता जाता है, त्यों-त्यों उसके अधिक स्पष्ट होने की संभावना रहती है। स्तनपान कराने वाले प्राणियों में यह अंतरयौनता मानसिकता क्षेत्र में भी आविर्भूत होती है। जब हम यौन विपरीतता के सुस्पष्ट मामलों पर विचार करते हैं, तो हमें कुछ ऐसे लक्षण मिलते हैं जो अक्सर पाए जाते हैं। जब कि यौन विपरीततायुक्त व्यक्तियों

समलैंगिक विवाह को अतीत में भी सामाजिक स्तर पर मान्यता नहीं मिली थी बल्कि उसे एक बीमारी के रूप में ही देखा जाता था। आज भी समलैंगिक विवाह को लेकर समाज का दृष्टिकोण वही है जो सदियों पहले था। आज भी इसे असमान्य ही माना जा रहा है जो विवाह जैसे पवित्र बंधन के विरुद्ध ही है।

का संबंध एक पर्याप्त अनुपात में (मेरे अनुभव के अनुसार पचास प्रतिशत से अधिक) काफी स्वस्थ परिवार से होता है, लगभग 40 प्रतिशत में उनके परिवार में रोगग्रस्त दशा अथवा विकृत मस्तिष्क दशा–सनकीपन, शराबखोरी, स्नायविक दुर्बलता या स्नायविक रोग–किसी न किसी अंश में, चाहे वह बहुत ही कम हो या ज्यादा, मौजूद रहते हैं। यौन विपरीतता का वंशानुक्रम सुस्पष्ट रहता है, यद्यपि कभी-कभी उसे मानने से इंकार किया जाता है।'

समलैंगिक विवाह को लेकर हेवलॉक एलिस का मानना है कि यौन विपरीततायुक्त व्यक्तियों के मामलों में कभी-कभी शादी का सवाल उठता है, यद्यपि अक्सर ही यह सवाल बिना डाक्टर की सलाह लिए तय कर लिया जाता है। इलाज की एक प्रणाली के रूप में, चाहे मरीज पुरुष हो या स्त्री, शादी को निरवच्छिन्न रूप से बिना किसी शर्त के ठुकरा देना चाहिए। यदि यौन सहजात पहले से ही उभलैंगिकता की ओर मुड़ा हुआ है, तो शायद यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति के उभलैंगिक बनने की संभावना है, पर जब तक शादी होने के समय यौन विपरीतता का आवेग समाप्ति की ओर अग्रसर न हो गया हो, तब तक शादी से उसके समाप्त होने के अवसर कम से कम हैं। इसके विपरीत शादी होने पर यह परिस्थिति हो सकती है कि जीवनसाथी की तरफ से घृणा ही उत्पन्न हो और उसके फलस्वरूप यौन-विपरीतता और उग्र हो जाए। ऐसे कई मामले हुए हैं, जिनमें ऊपर से सुखी दिखलाई देने वाला यौन-विपरीततायुक्त व्यक्ति शादी के बाद ही इस तरह खुलकर खेला कि वह कानून के फंदे में आ गया। शादी के बाद पति अथवा पत्नी से या शादी के बगैर किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वाभाविक मैथुन को और कम से कम वेश्यागमन को यौन विपरीतता का इलाज नहीं माना जा सकता, जिसमें स्त्रियां ऐसे रूप में सामने आती हैं जो यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति के भीतर विकर्षण ही पैदा करता है। ऐसा यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति जिसकी गड़बड़ी जन्मजात पूर्व प्रवृत्तियों पर आधारित रहती है, सम्भवतः जीवनपर्यन्त यौन विपरीततायुक्त बना रहेगा और इसलिए इसमें परिवर्तन लाने वाले प्रभाव क्रमिक और बहुमुखी होने चाहिए।

उपरोक्त तथ्यों को देखकर यह कहा जा सकता है कि समलैंगिक विवाह को अतीत में भी सामाजिक स्तर पर मान्यता नहीं मिली थी बल्कि उसे एक बीमारी के रूप में ही देखा जाता था। आज भी समलैंगिक विवाह को लेकर समाज का दृष्टिकोण वही है जो सदियों पहले था। आज भी इसे असमान्य ही माना जा रहा है जो विवाह जैसे पवित्र बंधन के विरुद्ध ही है। ■

क्या वाकई छत्तीसगढ़ में हुआ 2000 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला?

ईडी ने रिमांड आवेदन में कहा कि राज्य में कुल शराब बिक्री में बेहिसाब अवैध शराब की बिक्री करीब 30-40 फीसदी हो जाती है। ज्ञात रहे कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले का पदार्फाश किया और ईडी ने उच्च स्तर के सरकारी अधिकारियों, निजी लोगों और राजनीतिक अधिकारियों से बने सिंडिकेट का दावा किया। ईडी ने दावा किया कि सिंडिकेट की मदद से शराब सप्लायरों से भारी मात्रा में रिश्वत वसूली जा रही थी। ईडी ने गिरफ्तार किए गए और अदालत में पेश किए गए अनवर ढेबर के रिमांड आवेदन में दावा किया कि आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, जो उद्योग और वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव हैं, अनवर के साथ अवैध सिंडिकेट के मुख्य आरोपी भी थे। अनवर रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई हैं।

ईडी ने रिमांड आवेदन में कहा कि राज्य में कुल शराब बिक्री में बेहिसाब अवैध शराब की बिक्री करीब 30-40 फीसदी हो जाती है।

ज्ञात रहे कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले का पदार्फाश किया और ईडी ने उच्च स्तर के सरकारी अधिकारियों, निजी लोगों और राजनीतिक अधिकारियों से बने सिंडिकेट का दावा किया।

ईडी ने दावा किया कि सिंडिकेट की मदद से शराब सप्लायरों से भारी मात्रा में रिश्वत वसूली जा रही थी।

ईडी ने गिरफ्तार किए गए और अदालत में पेश किए गए अनवर ढेबर के रिमांड आवेदन में दावा किया कि आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, जो उद्योग और वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव हैं, अनवर के साथ अवैध सिंडिकेट के मुख्य आरोपी भी थे। अनवर रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई हैं।

ईडी ने रिमांड आवेदन में कहा कि बेहिसाब अवैध शराब की बिक्री देश के अंदर शराब की कुल बिक्री का करीब 30-40 फीसदी है।

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम,

2002 के प्रावधानों के तहत मामले की जांच करने के लिए छत्तीसगढ़ के एक आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और अन्य के खिलाफ ईसीआईआर दर्ज की। तीस हजारी अदालत के समक्ष आईटी अधिनियम, 1961 की धारा के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाते हुए आयकर शाखा द्वारा दायर शिकायत के आधार पर।

आईटी विभाग ने दावा किया कि इस सिंडिकेट में राज्य सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारी, गैर सरकारी लोग और छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी शामिल हैं।

उद्योग और वाणिज्य शाखा में संयुक्त सचिव आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर के साथ इन सभी मामलों का प्रबंधन कर रहे थे और इस अवैध सिंडिकेट के सरगना थे।

ये दोनों छत्तीसगढ़ के राजनीतिक अधिकारियों के करीबी थे और इस निकटता के कारण, वे पोस्टिंग को नियंत्रित करने में सक्षम रहे हैं और परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार में, विशेष रूप से आबकारी शाखा में व्यवस्थित जबरन वसूली और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं।

आईटी शाखा के निष्कर्षों के अनुसार, ईडी ने दावा किया कि शराब आपूर्तिकर्ताओं से इस सिंडिकेट का उपयोग करके भारी मात्रा में रिश्वत एकत्र की जा रही थी, जिसमें भ्रष्ट आचरण के माध्यम से एकत्र किया गया धन भी शामिल है।

ईडी ने रिमांड आवेदन में कहा कि आईटी विभाग डिजिटल उपकरणों पर कब्जा करने और व्हाट्सएप चैट को पुनः प्राप्त करने में कामयाब रहा और इससे उसने पाया कि भ्रष्टाचार प्रणालीगत था और इसने राज्य के विभिन्न विभागों में कई सहयोगियों के साथ अपनी गहरी जड़ें जमाई थी।

ईडी ने आगे दावा किया कि आरोपी ने व्हाट्सएप पर हर दिन के संग्रह की जानकारी साझा की थी और अवैध नकद धन के प्रवाह पर एक्सेल शीट और चैट बनाए रखा था, जिसे आईटी विभाग पुनः प्राप्त करने में कामयाब रहा।

ईडी ने कहा कि आईटी विभाग द्वारा साझा किए गए विशेष डेटा के माध्यम से, यह पता चला कि सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री से तीन अलग-अलग तरीकों से अवैध पैसा एकत्रित किया।

सबसे पहले छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री के हिसाब से शराब आपूर्तिकर्ताओं से अवैध कमीशन वसूला गया।

दूसरा, सरकारी दुकानों से बेहिसाब देशी शराब (छत्तीसगढ़ में प्रचलित) की बिक्री, जिसे डिस्टिलर्स, होलोग्राम निर्माता, बोतल बनाने वाले, ट्रांसपोर्टर, जनशक्ति प्रबंधन, जिला आबकारी अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी से अंजाम दिया गया।

और तीसरा, राज्य के अंदर डिस्टिलरों को काम करने की अनुमति देने के लिए भुगतान किया जाने वाला वार्षिक शुल्क।

फवाद चौधरी भी शेख राशिद की तरह ही भारत विरोधी हैं। वे भी भारत की तरक्की से जलते-भुनते रहे हैं। जब राफेल लड़ाकू विमान को सौंपे जाने से पहले रक्षा मंत्री द्वारा पूजा हुई तो फवाद चौधरी ने पूजा का मजाक उड़ाया। अगर कोई भारतीय हमारी परंपरानुसार पूजा करता है, तो किसी को भी उसकी आलोचना करने की क्या जरूरत है। रक्षा मंत्री ने केवल भारतीय परंपराओं का निर्वहन किया था। चौधरी बिना जाने-समझे बकवास कर रहे थे। वे भी जेल में भेजे गए थे। फिलहाल जेल से बाहर है। सुना है कि उनकी जेल में कसकर सेवा हुई है।

ईडी ने दावा किया कि उन्होंने आईटी शाखा के पास उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों को इकट्ठा कर लिया है और 23 मार्च, 2023 को पीएमएलए की धारा 17 के तहत एक व्यापक खोज अभियान चलाया है। छापेमारी के बाद उनके पास से भारी मात्रा में आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद हुए हैं।

ईडी ने अपने प्रस्तुत दस्तावेज में कहा है कि अब तक की गई जांच से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग में 2019 से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। आबकारी विभाग की स्थापना ऐतिहासिक रूप से शराब की आपूर्ति को विनियमित करने, जहरीली त्रासदियों को रोकने के लिए उपयोगकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण शराब सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य था राज्य के लिए राजस्व अर्जित करें। लेकिन अनवर ढेबर के नेतृत्व वाले आपराधिक सिंडिकेट ने इन सभी उद्देश्यों को ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने व्यवस्थित रूप से शराब नीति को अपनी सनक और पसंद के अनुसार बदल दिया और अपने लिए अधिकतम व्यक्तिगत लाभ उठाया।

ईडी ने आगे खुलासा किया कि छत्तीसगढ़ में आबकारी नीति को वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था और छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड को फरवरी 2017 में छत्तीसगढ़ में अपने स्वयं के स्टोर के माध्यम से शराब की खुदरा बिक्री की जिम्मेदारी के साथ बनाया गया था।

सीएसएमसीएल की स्थापना असली शराब उपलब्ध कराने, अवैध शराब की बिक्री रोकने और एमआरपी पर शराब उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ की गई थी।

राज्य में नई नीति के आगमन के साथ, सीएसएमसीएल को शामिल किया गया था, और इसने निर्माताओं से सीधे देशी शराब की खरीद के बाद शराब / बीयर / शराब / देशी शराब की खुदरा बिक्री के लिए अपने स्वयं के स्टोर स्थापित किए। ईडी ने कहा कि दुकानों को आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा चलाया जाना था और नकदी संग्रह निजी विक्रेताओं/बैंक प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना था।

ईडी का मानना था कि राज्य सरकार में बदलाव

फवाद चौधरी भी शेख राशिद की तरह ही भारत विरोधी हैं। वे भी भारत की तरक्की से जलते-भुनते रहे हैं। जब राफेल लड़ाकू विमान को सौंपे जाने से पहले रक्षा मंत्री द्वारा पूजा हुई तो फवाद चौधरी ने पूजा का मजाक उड़ाया। अगर कोई भारतीय हमारी परंपरानुसार पूजा करता है, तो किसी को भी उसकी आलोचना करने की क्या जरूरत है। रक्षा मंत्री ने केवल भारतीय परंपराओं का निर्वहन किया था। चौधरी बिना जाने-समझे बकवास कर रहे थे। वे भी जेल में भेजे गए थे। फिलहाल जेल से बाहर है। सुना है कि उनकी जेल में कसकर सेवा हुई है।

के कारण सीएसएमसीएल प्रबंधन में बदलाव आया है।

फरवरी 2019 में, अरुणपति त्रिपाठी (आईएस अधिकारी) को संगठन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया और बाद में, मई 2019 में, उन्हें अनवर के कहने पर संगठन का प्रबंध निदेशक बनाया गया।

त्रिपाठी को तब मैसर्स सीएसएमसीएल द्वारा खरीदी गई शराब पर एकत्र किए गए रिश्वत कमीशन को अधिकतम करने और सीएसएमसीएल संचालित दुकानों में गैर-शुल्क भुगतान वाली शराब की बिक्री के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का कार्य सौंपा गया था।

ईडी ने कहा कि त्रिपाठी को अनवर और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था और बाद में, अनवर ने विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू को नकद संग्रह का काम दिया और रसद की जिम्मेदारी अरविंद सिंह को तय की गई, ईडी ने कहा कि उनकी योजना को आगे बढ़ाने में सिंडिकेट मैसर्स सुमीत फैसिलिटीज लिमिटेड को जनशक्ति आपूर्ति अनुबंध दिया जो विकास अग्रवाल (अनवर के सहयोगी) से जुड़ा था।

एजेंसी ने कहा कि होलोग्राम की आपूर्ति का ठेका मैसर्स प्रिज्म होलोग्राफी एंड फिल्म्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को भी दिया गया था, जो त्रिपाठी से जुड़ा था, और जो सिंडिकेट को डुप्लीकेट होलोग्राम की मुफ्त आपूर्ति के लिए आसानी से सहमत हो गया था।

कैश कलेक्शन का ठेका भी विकास अग्रवाल (अनवर के सहयोगी) के एक अन्य करीबी सहयोगी मैसर्स सिद्धार्थ सिंघानिया की मैसर्स टॉप्स सिक्योरिटीज को दिया गया था।

एजेंसी ने खुलासा किया कि एक इच्छुक भागीदार को ठेके देने से शराब कारोबार के सभी अंगों, यानी शराब निर्माताओं (3 डिस्टिलर्स का एक एकाधिकार कार्टेल) पर सिस्टम पर सिंडिकेट का गढ़ सुनिश्चित हो गया।

ईडी की जांच में पाया गया कि देशी शराब की बिक्री पर कमीशन की मात्रा तय करने के लिए मार्च, 2019 में अनवर ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें देशी शराब निर्माताओं के प्रमोटर/निदेशक, मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, एमडी त्रिपाठी के साथ मैसर्स भाटिया वाइन मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स वेलकम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें डिस्टिलर्स को मैसर्स सीएसएमसीएल द्वारा इसकी खरीद के खिलाफ 75 प्रतिशत कमीशन देने की मांग की गई थी और बदले में अनवर ढेबर ने उनकी लैंडिंग बढ़ाने का वादा किया था।

यह व्यवस्था मान ली गई और हिसाब-किताब की गई शराब की पेटियों की बिक्री पर सिंडीकेट मोटी रकम वसूलने लगा।

प्रत्येक शराब की पेटी एमडी सीएसएमसीएल द्वारा ही खरीदी गई थी; इसलिए, सभी डेटा हमेशा उपलब्ध थे और जब तक कमीशन का भुगतान नहीं किया गया, तब तक आसवकों का बकाया चुकाया नहीं गया था।

ईडी को दिए गए बयानों के अनुसार, एकत्रित राशि का अधिकांश हिस्सा अनवर को दिया गया था। जैसा कि ईडी ने समझाया, कथित घोटाले की दूसरी कार्यप्रणाली यह थी कि राज्य में बेहिसाब अवैध शराब बनाने और बेचने की योजना बनाई गई थी।

ईडी ने कहा - यह एक उपहास और विडंबना थी कि यह बेहिसाब शराब राज्य द्वारा संचालित दुकानों से बेची गई थी। डुप्लीकेट होलोग्राम दिए गए। डुप्लीकेट बोतलें नकद में खरीदी गईं। शराब को डिस्टिलर से सीधे राज्य के गोदामों से होते हुए दुकानों तक पहुंचाया जाता था। इसमें आबकारी अधिकारी शामिल थे। जनशक्ति को बेहिसाब शराब बेचने का प्रशिक्षण दिया गया। पूरी बिक्री नकद में की गई। कोई आयकर, कोई उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। पूरी बिक्री लिखापढ़ी से दूर थी।'

ईडी की जांच में पता चला है कि 2019-2022 के बीच के वर्षों में इस तरह की अवैध बिक्री राज्य में शराब की कुल बिक्री का लगभग 30-40% थी।

इस उद्देश्य के लिए डिस्टिलर्स से दुकानों तक शराब की ढुलाई और डिस्टिलर्स को डुप्लीकेट होलोग्राम की आपूर्ति अरविंद सिंह द्वारा देखी गई थी।

अनवर द्वारा मासिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे, जो उन्हें सीधे सीएसएमसीएल के एमडी या अरविंद सिंह के माध्यम से सूचित करते थे, जिसके बाद वरिष्ठ आबकारी अधिकारी डिस्टिलर्स, होलोग्राम निर्माताओं, बोतल निर्माताओं, ट्रांसपोर्टरों और स्थानीय आबकारी अधिकारियों के साथ समन्वय करते थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरा सिस्टम आसानी से चला।

एफएल-10 ए लाइसेंस की अवधारणा को पेश करके विदेशी शराब निर्माताओं से रिश्वत लेने के लिए कथित घोटाले का अंतिम तंत्र अप्रैल 2020 में पेश किया गया था। ये लाइसेंस फिर से अनवर के तीन चुने हुए सहयोगियों को दिए गए। इन लाइसेंस धारकों को 'कलेक्टर' या मध्यस्थ के रूप में कार्य करना था और विदेशी शराब खरीदना था और फिर छत्तीसगढ़ सरकार के गोदामों में बेचना था और विदेशी शराब पर लगभग 10% का कमीशन भी बनाना था।

ईडी ने आखिरकार दावा किया कि यह स्थापित हो गया है कि इस सिंडिकेट द्वारा 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का भ्रष्टाचार धन उत्पन्न किया गया है। ■

/quickerpackers

SHIFTING YOURSELF IS A WRONG DECISION

Let our experts handle to your next move...

QUICKER PACKERS AND MOVERS PVT. LTD.

Bas ek call dur...

OUR SERVICES

Local Shifting | Domestic Shifting | International Shifting
Car/Bike Shifting | Office Shifting | Bulk / Commercial Movement
Part Load Movement | Corporate Shifting | Storage Facility

Bas ek call dur...
97 1800 1800

Corporate Office: WZ-58, Sri Nagar,
Gali No.-2, Pitampura, Delhi-110034
info@quickerpackers.com
www.quickerpackers.com

पाकिस्तान में हिन्दुओं का धर्मपरिवर्तन चिंताजनक

ह्यूमन राइट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1931 की जनगणना में 15 फीसदी थी। 1941 में ये 14 फीसदी हुई,1951 में ये बंटवारे के बाद बुरी तरह से गिरकर केवल 1.3 फीसदी रह गई है। 1961 ये आंकड़ा 1.4 प्रतिशत का था जो 1981 और फिर 1998 में क्रमशः 1.6 और 1.8 फीसदी रहा। भारत सरकार को पाक में हो रहे इन नापाक कार्य के खिलाफ सख्त ऐतराज उठाना चाहिए और सख्त चेतावनी देनी चाहिए।

मनोज कुमार अग्रवाल

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर अत्याचार और जबरन धर्मपरिवर्तन का सिलसिला जारी है हाल ही में पचास हिन्दुओं को सामूहिक रूप से कनवर्जन कर मुस्लिम बनाया गया है। उधर पाकिस्तान में हिन्दू लडकियों के साथ दरिंदगी और जबरन कनवर्जन आम है। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक हर साल करीब एक हजार लड़कियों का जबरदस्ती धर्म बदलवा दिया जाता है। इनमें से ज्यादातर लड़कियां सिंध प्रांत के गरीब हिंदू समुदाय से आती हैं। इसके अलावा सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी काफी लड़कियां इसका शिकार बनती हैं।

याद हो पिछले साल पांच नवम्बर 2022 को सिंध के बदिन जिले के कस्बे तंतु गुलाम अली से दो हिन्दू बच्चियों11 साल की निशा और 13 साल की हिना कोहली का अपहरण किया गया। पिछले एक महीने में कोई 16 ऐसी घटनाएं पाकिस्तान के सिंध इलाके में हो चुकी हैं, जिसमें नाबालिग हिन्दू लड़कियों का अपहरण कर जबरन मुस्लिम से निकाह करवा कर उनका धर्म बदलवा दिया गया।

इसी साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे जुर्म को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। संयुक्त राष्ट्र के 12 एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान में माइनॉरिटी की किडनैपिंग, धर्मपरिवर्तन और छोटी उम्र में लड़कियों की शादी करने जैसे मामलों को लेकर चिंता जाहिर की थी। पाकिस्तान के मीरपुरखास में 10 परिवारों के 50 हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया है। इनमें 1 साल की बच्ची भी शामिल है। इस मौके पर मजहबी मामलों के मंत्री मोहम्मद ताल्हा महमूद के बेटे मोहम्मद शमरोज खान भी मौजूद रहे। वो खुद भी सांसद हैं। हिंदुओं का सामूहिक धर्मांतरण कराने के लिए एक स्पेशल सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई। जिन लोगों का मजहब बदलवाया गया है, उन्हें चार महीने तक एक जगह रखा गया, इसे आम बोलचाल में इस्लामी ट्रेनिंग सेंटर कह सकते हैं।करीब एक महीने पहले हिंदू सांसद दानिश कुमार ने सदन में यह कहकर सबको चौंका दिया था कि उनके सहयोगी सांसद उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए लालच देते हैं या दबाव डालते हैं। अब हिंदुओं के सामूहिक धर्मांतरण का मामला सामने आया है। जिस संगठन ने यह धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित किया, उसके मुन्तजिर कारी तैमूर राजपूत ने कहा, कुल 10 परिवारों को इस्लाम में शामिल किया गया है वो मर्जी से मुस्लिम बनने को राजी हुए। हमने कोई दबाव नहीं डाला। इस मौके पर कई स्थानीय लोग मौजूद थे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक धर्मांतरण पाकिस्तान के मीरपुरखास में 10 परिवारों के 50 हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया है। इनमें 1 साल की बच्ची भी शामिल है। इस मौके पर मजहबी मामलों के मंत्री मोहम्मद ताल्हा महमूद के बेटे मोहम्मद शमरोज खान भी मौजूद रहे। वो खुद भी सांसद हैं।हिंदुओं का सामूहिक धर्मांतरण कराने के लिए एक स्पेशल सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई। जिन लोगों का मजहब बदलवाया गया है, उन्हें चार महीने तक एक जगह रखा गया, इसे आम बोलचाल में इस्लामी ट्रेनिंग सेंटर कह सकते हैं।

करीब एक साल पहले सर्वाधिक हिन्दू जनसंख्या वाले सिंध प्रांत के हरूनाबाद जिले के मिी कस्बे में 3700 और जैकबाबाद जिले के सग्घर कस्बे के 5700 लोगों का सामूहिक धर्मपरिवर्तन करवा कर वहां के मंदिरों में ताले डाल दिए गए। यदि पाकिस्तान में यही हालात रहे तो आगामी एक दशक में वहां हिन्दुओं का

नामोनिशान मिट जाएगा। सन 2021 में वहां बीस हजार हिन्दुओं का धर्मपरिवर्तन करवाया गया, 11 मंदिर तोड़े गए, 28 हिन्दुओं की हत्या की गई और 18 ने धार्मिक प्रताडना के चलते खुदकुशी कर ली। सबसे बड़ी बात शायद यह दुनिया का ऐसा विरला देश हो जहां अपने यहां अल्पसंख्यक आबादी के आंकड़े छुपाए जाते हैं। सन 2017 की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी कोई 20.77 करोड़ है जिसमें से 22 लाख के करीब हिन्दू हैं। पाकिस्तान में धर्मपरिवर्तन विरोधी कानून बनाए जाते हैं लेकिन कट्टरपंथी जमात के विरोध के चलते ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। बीते साल वहां 18 साल से कम के लोगों के धर्म परिवर्तन पर पाबंदी का कानून आया लेकिन मुल्ला-मौलवियों के विरोध के चलते उसे वापस ले लिया गया। वहां धर्मपरिवर्तन को सबाव अर्थात पुण्य का काम कहा जाता है और इस्लामिक कानून के तहत ऐसी पाबंदी धर्म विरोधी है कह कर गवर्नर ने कानून रद्द कर दिया था। पाकिस्तान के हिंदू संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता फाकिर शिवा ने इस सामूहिक धर्मांतरण का विरोध किया है। शिवा ने कहा कि बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि अब सरकार ही दूसरे मजहब के लोगों का इस्लाम में धर्मांतरण करा रही है।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर अत्याचार और जबरन धर्मपरिवर्तन का सिलसिला जारी है हाल ही में पचास हिन्दुओं को सामूहिक रूप से कनवर्जन कर मुस्लिम बनाया गया है। उधर पाकिस्तान में हिन्दू लडकियों के साथ दरिंदगी और जबरन कनवर्जन आम है। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक हर साल करीब एक हजार लड़कियों का जबरदस्ती धर्म बदलवा दिया जाता है। इनमें से ज्यादातर लड़कियां सिंध प्रांत के गरीब हिंदू समुदाय से आती हैं। इसके अलावा सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी काफी लड़कियां इसका शिकार बनती हैं।

माइनॉरिटीज के लोग कई साल से मांग कर रहे हैं कि इस तरह के कन्वर्जन के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए, लेकिन हमारी बात सुनेगा कौन? सिंध में तो यह बहुत बड़ा मसला बन चुका है। अब तो कैबिनेट मिनिस्टर का सांसद बेटा भी इस तरह के प्रोग्राम में शामिल हो रहा है।उन्होंनेकहा किहमारे लिए ये बहुत फिक्र की बात है कि धर्मांतरण किस पैमाने पर हो रहा है, लेकिन क्या करें? हम मजबूर हैं। हमारी कम्युनिटी में पहले ही बहुत गरीबी है। इसका फायदा मजहबी नेता उठा रहे हैं। लोगों को लालच दिया जाता है, फिर उन्हें कन्वर्ट कराया जाता है।इधर सामूहिक धर्मांतरण पर नाराजगी जाहिर करते हुए हिंदू कार्यकर्ताओं ने इस पर रोक के लिए कानून बनाने की मांग की है। हिंदू कार्यकर्ता ने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य इन धर्मांतरणों में शामिल है। स्थानीय समुदाय के सदस्य पिछले पांच सालों से सरकार से इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। ह्यूमन राइट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1931 की जनगणना में 15 फीसदी थी। 1941 में ये 14 फीसदी हुई,1951 में ये बंटवारे के बाद बुरी तरह से गिरकर केवल 1.3 फीसदी रह गई है। 1961 ये आंकड़ा 1.4 प्रतिशत का था जो 1981 और फिर 1998 में क्रमशः 1.6 और 1.8 फीसदी रहा। भारत सरकार को पाक में हो रहे इन नापाक कार्य के खिलाफ सख्त ऐतराज उठाना चाहिए और सख्त चेतावनी देनी चाहिए। ■

ज्वालामुखी के मुहाने पर पाकिस्तान

इमरान खान खुलकर सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। वे देश में असंतोष से सत्ता को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं।

सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रहे पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता को भी खतरा है। जब सेना को अनुकूल व्यक्ति मिलता है तो उसे एक डिब्बे में गुंजाइश दी जाती है; लेकिन जैसे ही उसे अपने हितों के प्रतिकूल समझा जाता है, उसे राजनीतिक रूप से विलुप्त करने का प्रयास किया जाता है, यह पाकिस्तान का इतिहास रहा है।

इस बार फर्क यह है कि इमरान खान खुले तौर पर सेना के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। वे देश में असंतोष से सत्ता को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया को इस तरह के खुले रुख का नतीजा देखने को मिला।

इमरान को सैनिकों ने सचमुच गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके पार्टी समर्थक सीधे सेना मुख्यालय पहुंचे. इस संघर्ष में सेना विपक्ष को कुचल देगी; लेकिन विभिन्न कारणों से पाकिस्तान में पहले से ही सुलगता असंतोष और इन गिरफ्तारियों के अलावा देश ज्वालामुखी के कगार पर खड़ा है।

सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रहे पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता को भी खतरा है। जब सेना को अनुकूल व्यक्ति मिलता है तो उसे एक डिब्बे में गुंजाइश दी जाती है; लेकिन जैसे ही उसे अपने हितों के प्रतिकूल समझा जाता है, उसे राजनीतिक रूप से विलुप्त करने का प्रयास किया जाता है, यह पाकिस्तान का इतिहास रहा है।

इमरान खान के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद सत्ता में आई शाहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली कट्टर विपक्षी सरकार समस्याओं से घिरी हुई है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद से प्रदर्शन, विरोध और हिंसा भड़क उठी है। उनके समर्थकों ने सेना को निशाना बनाया और रावलपिंडी, क्वेटा, इस्लामाबाद में उसके कार्यालयों में तोड़फोड़ की।

तोशखाना मामले में इमरान खान की सजा ने उनकी स्थिति और भी गहरी कर दी है। वहीं, एनएबी ने वित्तीय गबन के मामले में प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा को क्लीन चिट दे दी है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मिलने वाले

उपहार तोशखाने में जमा होते हैं। वे एक निश्चित मूल्य चुकाकर इससे मनचाही वस्तुएँ खरीद सकते हैं।

इस खरीद सौदे में खान को दोषी पाया गया है। इमरान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसका क्रिकेट के मैदान पर दबदबा था, ने अपनी स्थापना के लगभग दो दशक बाद राजनीतिक रंग ले लिया।

उनकी सरकार 2018 में युवाओं को नौकरी, भ्रष्टाचार और 'नए पाकिस्तान' के सपने का वादा करके सत्ता में आई थी। फौज की बेड़ियों में जकड़ी यह सरकार उन्हीं की मर्जी से चलती थी और उनकी कुटिल दृष्टि से बर्खास्त तक हो जाती थी। बेशक पाकिस्तान में लोकतंत्र जड़ नहीं जमा पाया है, जो सरकारें चलती हैं वो सेना के इशारे पर चलती हैं.

इमरान की सेना और उसके तत्कालीन चीफ ऑफ स्टाफ जावेद बाजवा से अनबन हो गई थी। इतना ही नहीं हमारी सरकार को अस्थिर करने के पीछे अमेरिका का हाथ हैइतना ही नहीं , उन्होंने तो यहां तक कह दिया किराजनीति में कुछ नियम और दिशा-निर्देश होते हैं जिनका पालन करना होता है। एक बेतरतीब, बेतुके बयान से एक कुर्सी टिक जाती है; लेकिन उन्हें इस बात का अहसास नहीं था कि राजनीतिक करियर एक टनल लेता है।

वे अब कीमत चुका रहे हैं। इसी इमरान के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में मुकदमे चल रहे हैं। उन पर कई प्रकार के भ्रष्टाचार, कार्यालय के दुरुपयोग, धोखाधड़ी के माध्यम से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। उन्होंने 'अल कादिर' नामक

इमरान के सामने मोर्चा बनाना, पार्टी का नेतृत्व तैयार करना और चुनाव लड़ने की योग्यता बरकरार रखना जैसी कई चुनौतियां हैं. हालांकि कार्यकर्ता सड़क पर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन देखना यह था कि अदालती लड़ाई में वे कितने सफल होते हैं। लेकिन सवाल उनकी राजनीतिक स्थिति के बजाय देश के भविष्य का है, जो वर्तमान में कवर किया गया है।

एक धार्मिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की, जिसके लिए उन्होंने सौ एकड़ से अधिक भूमि और सैकड़ों करोड़ रुपये एकत्र किए।

एक बड़े बिल्डर मलिक रियाज हुसैन द्वारा बैरिया टाउन के वित्तीय हेरफेर के मामले से। एनएबी ने आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के खजाने को कई सौ करोड़ रुपये का नुकसान होने के कारण यह कार्रवाई की है।

इमरान की हर तरह की गुगली, बाउंसर के बावजूद 'पाकिस्तान मुस्लिम लीग' के शाहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई. तब से खान द्वारा उसे सुरंग में डालने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें पिछले नवंबर में गोली मार दी गई थी, वे बच गए।

उन्होंने घोषणा की कि उन्हें मारने के लिए सैन्य अधिकारियों की साजिश थी। बाढ़ से उड़े अनाज, बढ़ती महंगाई और घटते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिवालिएपन के कगार पर है। यह देखने का इंतजार है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहायता दान कब छोड़ेगा।

ऐसे संकट में पाकिस्तान में अपदस्थ हुए इमरान फिर से सत्ता हासिल करने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं. हालाँकि, राजनीति के लिए परिपक्वता की आवश्यकता होती है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि अगर करिश्मा उन्हें सत्ता में ला भी देता है, तो भी वे भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला प्रशासन चलाना चाहते हैं।

उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि पार्टी के भीतर एक सक्षम दूसरी पंक्ति बनाने की जरूरत है। हालाँकि उन्हें लोकप्रियता मिली, लेकिन वे इसका सकारात्मक उपयोग नहीं कर सके। पाकिस्तान में अगले छह-आठ महीनों में आम चुनाव होंगे।

इमरान के सामने मोर्चा बनाना, पार्टी का नेतृत्व तैयार करना और चुनाव लड़ने की योग्यता बरकरार रखना जैसी कई चुनौतियां हैं. हालांकि कार्यकर्ता सड़क पर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन देखना यह था कि अदालती लड़ाई में वे कितने सफल होते हैं। लेकिन सवाल उनकी राजनीतिक स्थिति के बजाय देश के भविष्य का है, जो वर्तमान में कवर किया गया है। ■

मौत को हरा अन्नपूर्णा फतह कर आई बलजीत

दरअसल, कई दुरुह पहाड़ियों पर तिरंगा फहरा चुकी जीवटता की धनी बलजीत ने इस बार अन्नपूर्णा चोटी पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ने का मन बनाया था। लेकिन पर्वतारोहण में मदद करने वाली कंपनी ने उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया। चोटी पर चढ़ने में सहयोग करने वाले अनुभवी शेरपा उन्हें कंपनी ने उपलब्ध नहीं कराये। नौसिखिये और गैरजिम्मेदार शेरपाओं ने चोटी फतह करने के बाद लौटते वक्त उनकी जान जोखिम में डाल दी। दरअसल, मौत के मुंह से बलजीत की वापसी उसके आत्मबल, एनसीसी के बाद सैन्य प्रशिक्षण, पहाड़ के परिवेश में जीवन-यापन और भयावह परिस्थितियों से साम्य बैठाने के अद्भुत गुण से संभव हो पायी।

अरुण नैथानी

सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि देने का सिलसिला थम नहीं रहा था। उनके साथ ही लापता आयरलैंड के पर्वतारोही का शव बरामद हो चुका था। जिस इलाके में वह लापता हुई थी, उसे डेथ जोन कहा जाता है। दुनिया की खतरनाक चोटियों में शुमार नेपाल की अन्नपूर्णा चोटी पर लापता हिमाचल की पर्वतारोही बेटी को लेकर कयास लगाये जा रहे थे कि अब वह नहीं लौटेगी। वैसे एक खास ऊंचाई पर विकट हालात में इतने समय तक किसी का जीवित रह पाना संभव ही नहीं होता। बशर्ते कोई करिश्मा न हो। दरअसल, एक खास ऊंचाई के बाद बिना ऑक्सीजन के खतरनाक चोटियों पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों के हाई ऑल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है। यह स्थिति इतनी भयावह होती है कि आपका दिमाग आपके ही विरुद्ध काम करना शुरू कर देता है। दिमाग सामान्य संवेदनशीलता भी खो देता है। फिर कल्पना की ऐसी दुनिया में ले जाता है, जो मौत की राह बन सकती है। इस स्थिति में थोड़ी देर की नींद भी पर्वतारोही को मौत के आगोश में ले जाती है। ऐसी ही कल्पना इस माह के तीसरे हफ्ते में हिमाचल की पर्वतारोही बलजीत को लेकर भी की जा रही थी।

मगर मजबूत इरादों व आत्मविश्वास से भरी बलजीत मौत को हराकर लौट आई। उसने तमाम पर्वतारोहियों व आम लोगों को संदेश दिया कि मनोबल से हारी लड़ाई भी जीती जा सकती है। लगातार अपने दिमाग के प्रतिरोध से जूझते हुए

India's First Magazine of it's Kind

POLICE PUBLIC PRESS

Relationship National Magazine

Join us as

Life Member

Get Free

Certificate & I.D. Card

HELP US TO MAKE INDIA CRIME FREE

JOIN US

As Reporter and Earn upto 20,000/-P.M

HELPLINE NO. 1800115100

वह निरंतर खुद को बचाने के प्रयास में लगी रही। दिमाग के पूरी तरह साथ न देने के बावजूद उसने टूर पर्वतारोहण में सहयोग करने वाली कंपनी से संपर्क साधने में सफलता पाई। आखिरकार सात हजार छह सौ मीटर की ऊंचाई पर उन्हें हेलिकॉप्टर के जरिये बचा लिया गया। इस स्थान पर वह अर्द्धचेतन अवस्था में गिरते-पड़ते पहुंची। इस तरह वह डेथ जोन से बाहर निकली। दरअसल, एनसीसी के दौरान मिले सैन्य प्रशिक्षण और हिमाचल की पृष्ठभूमि ने उसे इतना मजबूत बनाया कि वह अंतिम समय तक मौत से लड़ती रही। उसके योग के ज्ञान ने भी उसे आंतरिक ताकत दी।

दरअसल, कई दुरुह पहाड़ियों पर तिरंगा फहरा चुकी जीवटता की धनी बलजीत ने इस बार अन्नपूर्णा चोटी पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ने का मन बनाया था। लेकिन पर्वतारोहण में मदद करने वाली कंपनी ने उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया। चोटी पर चढ़ने में सहयोग करने वाले अनुभवी शेरपा उन्हें कंपनी ने उपलब्ध नहीं कराये। नौसिखिये और गैरजिम्मेदार शेरपाओं ने चोटी फतह करने के बाद लौटते वक्त उनकी जान जोखिम में डाल दी। उनके शरीर पर अधिक ऊंचाई पर होने वाली बीमारी का प्रभाव दिखने लगा था। दरअसल, समुद्रतल से एक खास ऊंचाई पर पहुंचने के बाद शरीर में ऑक्सीजन तीव्र गति से घटने लगती है, जिससे दिमाग पर खासा प्रतिकूल असर दिखता है। पर्वतारोहियों का खून जमने से शरीर को लकवा तक मार जाता है।

दरअसल, मौत के मुंह से बलजीत की वापसी उसके आत्मबल, एनसीसी के बाद सैन्य प्रशिक्षण, पहाड़ के परिवेश में जीवन-यापन और भयावह परिस्थितियों से साम्य बैठाने के अद्भुत गुण से संभव हो पायी। वह बिना आक्सीजन के घातक परिस्थितियों में शिखर तक की सौ मीटर की दूरी 24 घंटे में पूरी कर सकी। ऐसे हालात में जब जटिल परिस्थितियों में उसका दिमाग भी साथ नहीं दे रहा था, वह हाई ऑल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा की शिकार हो रही थी। उसकी लड़ाई सिर्फ बेहद दुरुह अन्नपूर्णा चोटी की खतरनाक स्थितियों से ही नहीं थी बल्कि उसका दिमाग भी उसके विरुद्ध खड़ा हो गया था। वह दिमाग से भी लड़ रही थी। साढ़े सात हजार मीटर की ऊंचाई पर दिमाग भरमा रहा था कि वह अपने कैंप में लौट आई है। उसे कुछ समय के लिये नींद भी आई। ऐसी स्थितियों में अक्सर पर्वतारोही जान गंवा देते हैं। मगर सेना का प्रशिक्षण उसके काम आया। वह दिमाग की साजिशों से लड़ती रही। वह अपने शरीर को नीचे की ओर घसीट रही थी। वह कुछ मीटर फिसल कर गिरी भी, लेकिन सुरक्षा के लिये बांधे एंकर ने उसे खाइयों में गिरने से बचाया।

फिर पर्वतारोहियों की मदद के लिये दिये गये यंत्र गार्मिन डिवाइस के मदद से उसने मददगार कंपनी से संपर्क साधा और आपातकालीन बचाव की गुहार लगायी। कंपनी के आपातकालीन फोन से संपर्क नहीं हुआ तो दूसरे नंबर पर संपर्क साधा। एक घंटे तक कोई जवाब नहीं मिला। खाने-पीने का सामान खत्म हो चुका था। लेकिन परिवार द्वारा दिये गये जीवटता के संस्कारों ने उसे मदद की। उसका दृढ़ विश्वास था कि पर्वत किसी की जान नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि खतरनाक अन्नपूर्णा पर्वत पर पर्वतारोहियों की मृत्यु दर पच्चीस फीसदी है। वह खुद को घसीटकर उतर रही थी कि उसका संदेश मिलने के बाद बचाव के लिये हेलिकॉप्टर आए और लॉन्ग लाइन के जरिये उन्हें उठाया गया। फिर उपचार के लिये काठमांडू लाया गया।

इस तरह दो दिन दो रात अन्नपूर्णा चोटी पर बिना आक्सीजन के रहने के बाद बच पाना किसी चमत्कार से कम न था। दुनिया उन्हें मृत मान चुकी थी और सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी। लेकिन उनकी मां को विश्वास था बेटी लौटेगी और आखिरकार उससे बात भी हुई। उसका उपचार करने वाले डॉक्टर भी उसके जीवित रहने को एक चमत्कार ही मान रहे थे। दुनिया की दसवीं सबसे ऊंची चोटी को फतह करके लौटी बलजीत निस्संदेह जीवटता की मिसाल है। उसे दूसरा जीवन मिला है। ■

दो दिन दो रात अन्नपूर्णा चोटी पर बिना आक्सीजन के रहने के बाद बच पाना किसी चमत्कार से कम न था। दुनिया उन्हें मृत मान चुकी थी और सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी। लेकिन उनकी मां को विश्वास था बेटी लौटेगी और आखिरकार उससे बात भी हुई। उसका उपचार करने वाले डॉक्टर भी उसके जीवित रहने को एक चमत्कार ही मान रहे थे। दुनिया की दसवीं सबसे ऊंची चोटी को फतह करके लौटी बलजीत निस्संदेह जीवटता की मिसाल है। उसे दूसरा जीवन मिला है।

India's First Magazine of it's Kind

POLICE PUBLIC PRESS

Relationship National Magazine

LIFE MEMBER FORM

Pay Rs. 4,000/ For Life Member's Free Photo ID Card & Life Long Magazine By Courier

Corp.Off: G-8,G.K.House,187A,Sant Nagar, East Of Kailash,New Delhi-110065
PH:09377100100,07205100100

Bhubaneswar Off: Plot No-397/1952,Bomikhal, Bhubaneswar,Khordha,Odisha,751010

Website-www.9377100100.com,www.7205100100.com

Name:(Capital Letter) ..... Age .....

Father's/Husband Name .....

Present Address .....

P.O ..... P.S ..... DIST .....

PIN ..... State ..... Blood Group .....

Nominee For Insurance ..... Relation .....

Education ..... Mail ID .....

Mob No. ..... (R) ..... Occupation .....

Documents (Attached Xerox Copy) Driving Licence ☐ Voter Id Card ☐ Bank Pass Book ☐ Other

Reporter's/Agent's Name ..... Area .....

References(Local With Phone)

1.

2.

HELP POLICE,HELP SOCIETY,HELP YOURSELF

Declaration: I do hereby declare that i am a bonafide resident of the above given address from last one year.I have been sued by law for any type unlawful activities.I also authories the organisation to verify the fact stated about me and confirm that,i am bound with the rules and regulations of the organisation.My primary object is to be the member of this organisation to serve voluntary the public and our nation.I also confirm that if at any time i am found guilty or any motive or malafide intentions i am liable for cancellation of my card/membership and following by disciplinary action/legal action.

Payment details Rs.4000/- Cash/Cheque

Full Name_____

Signature_____

M.R No_____

Date

N.B:Above from duly filled up with 2P.P. colour photograph and Rs.4000/- (Four Thousent only)
Non Refundable Life Member's Subscription of above magazine send to our above New Delhi Office.The card is complementary gift and meant only for photo identity of our member.I-Card will be dispatched within 15 days after the verification of the address and fact.

(The Magazine Will Reach You After 6 to 8 Weeks)

I-Card No _____

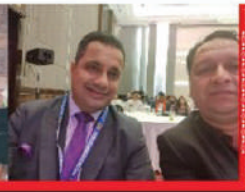

Sample Card

नेहा अग्रवाल पेटीएम की सहकारी उपाध्यक्ष बनीं

नेहा ने अपनी प्रतिभा व दक्षता से समाज का मान बढ़ाया

अंतरराष्ट्रीय स्तर की पेटीएम कंपनी के सहकारी उपाध्यक्ष के रूप में करंजिया की बेटी नेहा अग्रवाल की नियुक्ति हुई है। यह ओड़िशा की पहली महिला है, जिन्हें पेटिम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। नेहा ना केवल करंजिया, जिले के लिए बल्की पूरे राज्य के लिए गौरव लाई हैं। अपनी प्रतिभा व दक्षता से नेहा ने समाज का मान बढ़ाया है। नेहा अग्रवाल करंजिया निवासी राजकिशोर अग्रवाल और रेणु अग्रवाल की बेटी हैं। नेहा का राउरकेला से भी गहरा नाता है।

नेहा ने करंजिया विकास कांवेंट स्कूल से मैट्रिक, कटक रेवेंशॉ कॉलेज से प्लस टू और रमादेवी कॉलेज से प्लस थ्री पास किया है। दिल्ली स्कूल ऑफमॉस कम्युनिकेशन में मास्टर इन एडवरटाइजिंग, मार्केटिंग एवं मॉस कम्यूकेशन किया। इसके बाद पहले ग्रुप एम कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में कार्य शुरू किया। इसके बाद उन्होंने पेटीएम कंपनी को ज्वाइन किया। वहां पांच साल कार्य करने के बाद मार्केटिंग मीडिया सेल में जनरल मैनजर के रूप कार्य कर अंतरराष्ट्रीय स्तर में प्रमुख भूमिका निभाई।

'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं पेटीएम में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एक नई पारी की शुरूआत कर रही हूं। '

- नेहा अग्रवाल

कंपनी ने उनकी काबिलियत पर खुश होकर उन्हें वर्तमान सहकारी उपाध्यक्ष पद पर प्रमोशन दिया। उनकी इस पद नियुक्ति से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।

पेटीएम ने नए सहयोगी उपाध्यक्ष के रूप में पूर्व महाप्रबंधक विपणन, नेहा अग्रवाल की पदोन्नति की घोषणा की है । जबकि, आदित्य स्वामीनाथन, जो पहले AVP - सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मार्केटिंग और पार्टनरशिप थे, को पदोन्नति देकर पेटीएम का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। अग्रवाल के पास सैमसंग, एनआईआईटी, वर्जिन मोबाइल, जीएसके, मारुति सुजुकी, सुजुकी और अब पेटीएम जैसे अत्यधिक विविधतापूर्ण व्यापार श्रेणियों स्लैश ब्रांड में मीडिया और ब्रांड मार्केटिंग का 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने अपने लिंक्डइन पोस्ट पर साझा किया, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं पेटीएम में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एक नई पारी की शुरूआत कर रही हूं। '

स्वामीनाथन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में 13 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ एक डिजिटल मार्केटिंग पेशेवर हैं। विज्ञापन नेटवर्क, ई-कॉमर्स और फिन-टेक कंपनियों में व्यवसाय स्थापित करने और बढ़ाने के लिए उनके पास विज्ञापन-प्रौद्योगिकी में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। स्वामीनाथन पहले Affle, Flipkart, Paytm Ads और अन्य में वरिष्ठ पदों पर रहे।

स्वामीनाथन ने अपने लिंक्डइन पोस्ट पर साझा किया, 'मुझे यह साझा करते हुए अविश्वसनीय रूप से गर्व और सम्मान महसूस हो रहा है कि मुझे पेटीएम विज्ञापनों में उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया है। यह पिछला वर्ष चुनौतियों से भरा रहा है, लेकिन यह कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और लचीलेपन का प्रतिबिंब भी रहा है। मैं अपनी अद्भुत टीम, सलाहकारों और सहयोगियों के समर्थन के लिए आभारी हूं, जो हर कदम पर मेरे साथ खड़े रहे।'

नेहा ने बताया कि 'यह प्रचार पेटीएम विज्ञापनों में हमारी सीओई टीम के सामूहिक प्रयास और दृढ़ संकल्प का एक वसीयतनामा है। हमारे नेताओं समीर कपूर, प्रवीण शर्मा द्वारा मुझे दिए गए निरंतर मार्गदर्शन, समर्थन और मान्यता के लिए भी मैं बहुत आभारी हूं। हमारे संगठन की सफलता में योगदान जारी रखने और अपनी नई भूमिका में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उत्सुक हूं।'

BE OUR MEMBER & REPORTER

India's First Magazine of it's kind

POLICE PUBLIC PRESS

Relationship National Magazine

HELP US TO MAKE INDIA CRIME FREE

BE OUR MEMBER & GET FREE

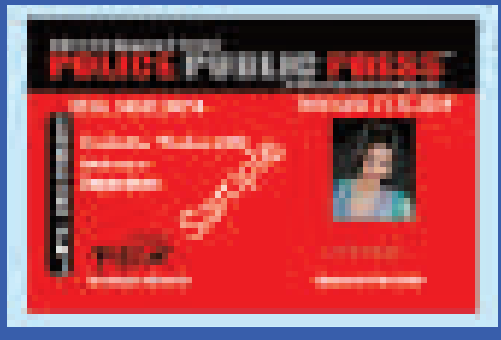

Corp. Off. - G-8, GK House, 187 A, Sant Nagar,
East Of Kailash, New Delhi-110065
Phone - 011-41085100, 9477100 100
Mob. - 09377100100, 09310888388

Regd off. - 213, Glimpses Palace,
Cuttak-Puri Road,
Bomikhal, Bhubneshwar- 751010 (Orissa)
Odisha-Mob - 07205100100, 0674-6000111

website - www.policepublicpress.in
email-pkbhoot@gmail.com

09377100100, 09477100100

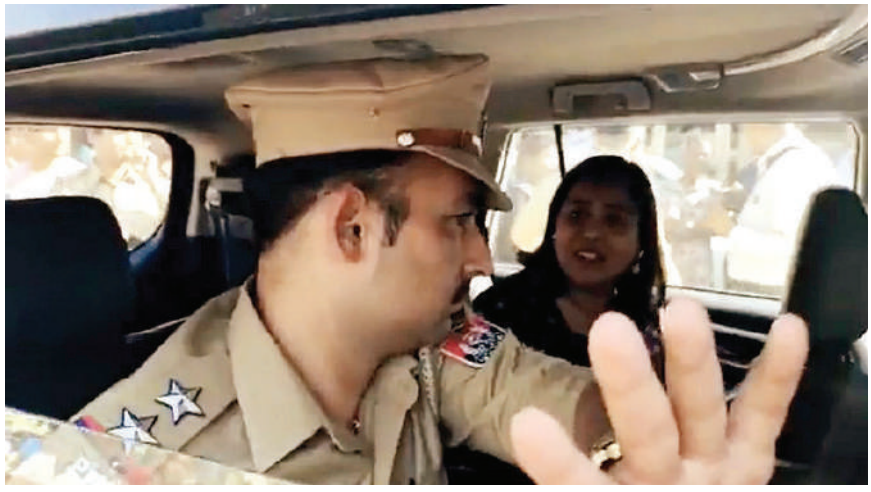

अभद्रता की हदें लांघ रही जिम्मेदार लोगों की भूलें

दिल्ली के एक नर्सिंग कॉलेज में दो छात्राओं के साथ हो या पंजाब पुलिस द्वारा टाइम्स नाऊ- नवभारत टाइम्स की पत्रकार भावना किशोर को बदले की भावना से हिरासत में लेने की अवांछित घटनाएं नारी अस्मिता एवं अस्तिव को कुचलने की शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। ये दोनों घटनाएं ऊंचे ओहदों पर बैठे अधिकारियों द्वारा न सिर्फ नाहक आपा खोकर की गई अमानवीय हरकत है, बल्कि यह कानूनन अपराध के दायरे में भी आता है। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों के द्वारा ऐसी नारी से अभद्र एवं अपमान करने एवं अमानवीय घटनाओं का होना प्रशासनिक ढ़ांचे एवं उसकी संरचना पर अनेक सवाल खड़े करता है। प्रश्न है कि क्यों भूल रहे हैं ऐसे लोग अपनी मयार्दाएं। नये भारत एवं सशक्त भारत को निर्मित करते हुए समाज में ऐसी नारी अपमान एवं अत्याचार की घटनाओं का कायम रहना दुर्भाग्यपूर्ण एवं विडम्बनापूर्ण है।

दिल्ली के जिस नर्सिंग कॉलेज में चोरी करने का आरोप लगाते हुए दो छात्राओं के साथ अवांछित व्यवहार की क्रूर एवं आपत्तिजनक घटना सामने आई है, वह बेहद चिन्ताजनक है। इससे पता चलता है कि किसी संस्थान में जिम्मेदारी वाले पद पर होने के बावजूद कोई व्यक्ति कैसे अपनी मयार्दाओं एवं जिम्मेदारियों को भूल जाता है और इस क्रम में वह किसी महिला के सम्मान को गहरी चोट पहुंचाता है। हालांकि दोनों के पास से कोई पैसा नहीं मिला। सवाल है कि पैसा चोरी होने के बाद अगर वार्डन को कोई शक था भी, तो उसे खुद कानून हाथ में लेने का क्या अधिकार था? फिर, जैसा बर्ताव छात्राओं के साथ किया गया, क्या वह किसी भी रूप में शक को दूर करने की कोशिश लगती है?

सच यह है कि हड़बड़ी या फिर पद के नाहक अहं में आकर लड़कियों के कपड़े उतरवाए गए और इस तरह उन्हें अपमानित किया गया। अगर चोरी हुई भी, तो इसकी शिकायत पुलिस के पास की जा सकती थी। लेकिन वार्डन ने स्वयं को सर्वेसर्वा मानकर जो बर्ताव किया, वह कानून को तो ताक पर रखता ही है, हमारी मयार्दा, शालीनता, संस्कार एवं महिलाओं के प्रति सम्मानजनक नजरिये की धज्जियां भी उड़ाता है। इस तरह की घटनाओं की रह-रह की पुनरावृत्ति होना गंभीर चिन्ता का विषय है। भले ही घटना हो जाने के बाद पीड़ित छात्राएं और उनके अभिभावकों की शिकायत के बाद इस मसले पर वार्डन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन एक बड़ा प्रश्न है कि ऐसी घटनाएं कब तक समाज की गरिमा को क्षत-विक्षित करती रहेगी। हैरानी की बात है कि समाज के जिस तबके के बारे में शिक्षित होने और किसी संस्थान को सभ्य आचार संहिता से संचालित होने की उम्मीद की जाती है, अक्सर उसी की ओर से ऐसी हरकतें सामने आती हैं, जिसमें आज भी सामंती मूल्य एवं पुरुषवादी संकीर्ण सोच बनी हुई हैं और उसे कानून की परवाह नहीं है।

सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉ. मृदुला सिन्हा ने महिलाओं की असुरक्षा एवं अवांछित बर्ताव के संदर्भ में एक कटु सत्य को रेखांकित किया है- 'अनपढ़ या कम पढ़ी-लिखी महिलाएं ऐसे हादसों का प्रतिकार करती हैं, किन्तु पढ़ी-लिखी लड़कियां मौन रह जाती हैं।' सचमुच यह एक चौंका देनेवाला सत्य है। पढ़ी-लिखी महिला इस प्रकार के किसी हादसे का शिकार होने के बाद यह चिंतन करती है कि प्रतिकार करने से उसकी बदनामी होगी, उसके पारिवारिक रिश्तों पर असर पड़ेगा, उसका कैरियर चौपट हो जाएगा, आगे जाकर उसको कोई विशेष अवसर नहीं मिल सकेगा, उसके लिए विकास का द्वार बंद हो जाएगा। वस्तुतः एक महिला प्रकृति से तो कमजोर है ही, शक्ति से भी इतनी कमजोर है कि वह अपनी मानसिक सोच को भी उसी के अनुरूप ढाल लेती है। भले ही नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने शिकायत दर्ज कर साहस का परिचय दिया है।

दिल्ली की यह घटना इस तरह का कोई अकेला उदाहरण नहीं है। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं, जिसमें कहीं चोरी के आरोप में तो कभी परीक्षा में नकल रोकने के नाम पर कपड़े उतरवा कर लड़कियों की तलाशी ली जाती है। आम आदमी पार्टी के राजनेता एवं राजनीतिक दल तो इतने अहंकारी हो गये हैं कि उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली टाइम्स नाऊ की महिला पत्रकार को ही झूठा मामला बनाकर बिना महिला पुलिसकर्मी के सात घंटे तक हिरासत में रखा और अवांछित तरीके से परेशान किया। ऑपरेशन शीशमहल में केजरीवाल के 45 करोड़ खर्च के मामलें को उठाने वाली महिला पत्रकारों से बदसलूकी की गयी है। पहले उन्हें पीटा गया, उनके रास्ते रोके गए और अब एक पत्रकार को बीच रास्ते में हिरासत में ले लिया गया। ऐसी हरकतें करने वाले लोगों या संस्थानों को क्या इस बात का अंदाजा भी होता है कि ऐसे व्यवहार की शिकार लड़कियों के मन-मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है? करीब सात महीने पहले झारखण्ड से एक खबर आई थी, जिसमें नकल के शक में कपड़े उतरवा कर एक छात्रा की तलाशी लेने का आरोप था। इससे बेहद आहत और अपमानित महसूस करने के बाद छात्रा ने घर जाकर खुद को आग लगा ली थी। अगर किसी संस्थान या व्यक्ति को चोरी या नकल का शक है तो क्या इससे निपटने का यही तरीका बचा है कि किसी लड़की को इस तरह अपमानित किया जाए?

आजीवन शोषण, दमन, अत्याचार, अवांछित बर्ताव और अपमान की शिकार रही भारतीय नारी को अब और नये-नये तरीकों से कब तक जहर के घूंट पीने को विवश होना होगा। अत्यंत विवशता और निरीहता से देख रही है वह यह क्रूर अपमान, यह वीभत्स अनादर, यह दूषित व्यवहार। उसके उपेक्षित कौन से पक्ष में टूटेगी हमारी यह चुप्पी? कब टूटेगी हमारी यह मूर्च्छा? कब बदलेगी हमारी सोच। यह सब हमारे बदलने पर निर्भर करता है। हमें एक बात बहुत ईमानदारी से स्वीकारनी है कि गलत रास्तों पर चलकर कभी सही नहीं हुआ जा सकता। यदि हम सच में नारी के अस्तित्व एवं अस्मिता को सम्मान देना चाहते हैं तो! ईमानदार स्वीकारोक्ति और पड़ताल के बिना हमारी दुनिया में न कोई क्रांति संभव है, न प्रतिक्रांति।

CHANCE TO UNEMPLOYED YOUTH OF INDIA

500 BRANCH

OPEN OUR OFFICE IN YOUR AREA

WE INVITES YOUTHS FROM ALL DIST. OF INDIA TO OPEN

POLICE PUBLIC PRESS

FRANCHISE IN YOUR AREA

WE PROVIDE BOARD, LEGAL AGREEMENT AND WORKING IDEALS

MINIMUM INVESTMENT

50 TO 100 SQ. FT. OFFICE SPACE REAQUIRED

MINIMUM EDUCATION- GRADUATE

& EARN UP TO 50,000/- P.M.

SEND YOUR DETAILS ON OUR WHATSAPP

9377100100/9477100100

India's First Magazine of it's kind

POLICE PUBLIC PRESS

Relationship National Magazine

email-pkbhoot@gmail.com

www.policepublicpress.in

HELP US TO MAKE INDIA CRIME FREE

RNI Regd. No. ORIBIL/06/16802 May, 2023 Postal Regd. No. BN/94/14/16

Organised by

Franchise Batao.com

JUNE, 11th 2023

www.franchisebatao.com,
email - franchisebatao@gmail.com

Franchise Expo In Vadodara

FREE ENTRY

FREE ENTRY

FREE ENTRY

WHY ATTEND/EXHIBIT

More than 100 Business opportunities
Meet One to One with Brand Representative
Great offers and Discounts only at Franchise Expo
grow your Brand Presence with Franchise Business

Media Partner

India's First Magazine of It's Kind
POLICE PUBLIC PRESS
Relationship National Magazine

Contact
78277190\99
7011466766

INDIA ONE.TV

American East Coast University

HONORARY DOCTORATE & AWARDS

SAYAJI HOTEL, VADODARA

11 th June, 2023

co powered by

Franchise Batao.com

Media Partner

ANMOL.TV

India's First Magazine of It's Kind
POLICE PUBLIC PRESS
Relationship National Magazine

CALL US 9377100100, 9477100100